झारखंड सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग

अधिसूचना

दिनांक नवम्बर , 2000 ई.

जी. एस. आर .... / भारत संविधान के अनुच्छेद 166 के खंड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड–राज्यपाल निम्न नियमावली बनाते हैं :–

भारत–संविधान के अनुच्छेद 166 (3) के अधीन कार्यपालिका नियमावली

1. यह नियमावली "झारखंड कार्यपालिका नियमावली, 2000" कहलायेगी।
2. "बिहार कार्यपालिका नियमावली, 1979" यथा, (1ली अगस्त, 1997 तक संशोधित) को हू–ब–हू झारखण्ड कार्यपालिका नियमावली 2000" (प्रथम अनुसूची यथासंशोधित) के रूप में अंगीकृत किया जाता है।
3. उक्त नियमावली में शब्द "बिहार" के स्थान पर शब्द "झारखण्ड" पढ़ा जाय।
4. यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त होगी।

सी. एस. / आर 2000

झारखण्ड–राज्यपाल के आदेश से

ह० / –

विजय शंकर दुबे

मुख्य सचिव

ज्ञाप संख्या 07 / रॉंची, 16 नवम्बर, 2000 ई.

प्रतिलिपि :– महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव / मुख्यमंत्री के सचिव / सरकार के सभी आयुक्त एवं सचिव / सरकार के सभी सचिव / सरकार के सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिलाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / –

नरेन्द्र भगत

सरकार के सचिव

झारखंड सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग

(कार्यपालिका नियमावली, 2000) 1 अगस्त, 1992 तक संशोधित)

अधिसूचना

सं. जी. एस. आर. भारत संविधान के अनुच्छेद 166 के खंड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, झारखंड राज्यपाल निम्न नियमावली बनाते हैं :–

भारत–संविधान के अनुच्छेद 166 (3) के अधीन कार्यपालिका नियमावली।

1. यह नियमावली "झारखंड कार्यपालिका नियमावली, 2000" कहलायेगी।

2. इस नियमावली में, यदि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, तो –

   (क) "अनुच्छेद" से तात्पर्य है भारत–संविधान का अनुच्छेद।

   (ख) "परिषद्" से तात्पर्य है अनुच्छेद 163 के अधीन गठित मंत्रिपरिषद् और इसमें परिषद् की समिति भी शामिल है।

   (ग) "अनुसूची" से तात्पर्य है इस नियमावली से संलग्न अनुसूची।

3. सामान्य परिभाषा अधिनियम (जेनरल क्लॉजेज ऐक्ट), 1897 – इस नियमावली के निर्वचनार्थ उसी प्रकार लागू होता है जिस प्रकार केन्द्रीय अधिनियमो के विवेचनार्थ लागू होता है।

4. राज्यपाल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के अधीन मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को नियुक्त करेंगे।

भाग 1 – कार्य का बँटवारा और निबटाव

5. सरकारी कार्य प्रथम अनुसूची में उल्लिखित विभागों में संपादित किया जायेगा। इसे वर्गीकृत करके उन विभागों में वितरित कर दिया जायगा जैसा कि उक्त अनुसूची में दिया गया है।

6. (1) राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से हरेक मंत्री को एक या अनेक विभागों का प्रभार सौंप कर मंत्रियों के बीच सरकारी कार्य को बाँट देंगे।

   परन्तु इस नियम की किसी बात से एक विभाग का प्रभार एक से अधिक मंत्रियों को सौंपने में बाधा न होगी;

(2) मंत्रियों के बीच कार्य का वर्तमान बँटवारा इस नियमावली के द्वितीय अनुसूची में दिखाया गया है।

7. (1) राज्यपाल मुख्य–मंत्री की सलाह से राज्य–मंत्री या उप–मंत्री को एक या अनेक विभाग सौपेंगे।

(2) इस नियमावली के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य–मंत्री या उप–मंत्री (1) के अधीन सौंपे गये विभाग के ऐसे कार्यों को निबटायेंगे, जो मुख्य–मंत्री या मुख्य–मंत्री के अनुमोदन से उस विभाग के प्रभारी मंत्री विनिर्दिष्ट करें;

परन्तु इस नियम के अधीन कोई कार्य, उन शर्तों, प्रतिबन्धों या अपवादो के अधीन सौंपा जायेगा, जो मुख्य–मंत्री या मुख्य–मंत्री के अनुमोदन से प्रभारी मंत्री विनिहित करें।

8. सचिवालय के हर–एक विभाग या विभागों के समूह के लिये आवश्यकतानुसार एक प्रधान सचिव/सचिव रहेंगे जो उस विभाग के अधिकारिक प्रधान होंगे। साथ ही हर–एक विभाग में राज्य सरकार द्वारा यथानिर्धारित अन्य पदाधिकारी और सेवक भी रहेंगे।

9. परिषद् इस नियमावली के अनुसार राज्यपाल को दी गई सभी सलाहों और राज्यपाल के नाम से निर्गत सभी कार्यपालक आदेशों के लिये सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे, चाहे कोई खास मंत्री अपने संविभाग (पोर्टफोलियो) से संबंधित किसी विषय पर ऐसी सलाह दें या ऐसा आदेश प्राधिकृत करें, अथवा परिषद् की किसी बैठक में हुए विचार–विमर्श के परिणामस्वरूप या अन्यथा किसी भी तरह ऐसी सलाह दी जाय या ऐसा आदेश प्राधिकृत किया जाय।

10. नियम 15 के अनुसार मुख्य–मत्री के आदेश के अधीन रहते हुए, इस नियमावली की तृतीय अनुसूची में निर्दिष्ट सभी मामले भाग 2 में दिये गए नियमों के उपबन्धानुसार परिषद् के सामने लाये जायेंगे;

परन्तु मुख्य–मंत्री के निदेशाधीन आपवादिक परिस्थितियों को छोड़कर जिस मामले में नियम 12 के अधीन वित्त विभाग का परामर्श अपेक्षित हो, उस पर यदि वित्त–मंत्री को विचार करने का अवसर न मिला हो, तो परिषद् तो विचार–विमर्श न करेगी।

11. नियम 9 के उपबंधों पर विपरीत प्रभाव डाले बिना, किसी विभाग के प्रभारी मंत्री उस विभाग से संबंधित कार्यों के निबटाव के लिये प्रथमतः जिम्मेदार होंगे।

12. (1) वित्त विभाग से पूर्व परामर्श किये बिना कोई भी विभाग (वित्त विभाग द्वारा किए गए किसी सामान्य या विशेष अत्यायोजन के अनुसारी आदेशों से भिन्न) कोई ऐसा आदेश प्राधिकृत न करेगा, जो –

(क) या तो सीधे या अपने प्रति प्रभाव से राज्य के वित्त पर प्रभाव अथवा जिसमें, खास तौर से – (खनन संबंधी अधिनियमों एवं नियमावलियों के अधीन स्वीकृत होने वाले पट्टों/अनुज्ञप्तियों को छोड़कर)

(1) भूमि अनुदान अथवा राजस्व अभ्यर्पण अथवा वन संबंधी अधिकार या पन–बिजली के अधिकार, समनुदान, अनुदान पट्टा या लाइसेंस अथवा ऐसे समनुदान के संबंध में कोई सूखाचार (ईजमेंट) या विशेषाधिकार अन्तग्रस्त हो;

अथवा (2) किसी तरह, कोई राजस्व परित्याग अन्तर्ग्रस्त हो, अथवा

(ख) पदों की संख्या या कोटि (ग्रेडिंग) या संवर्ग (कैडर) से अथवा सेवा या पदों की उपलब्धियों या अन्य शर्त्तों से संबंधित हो।

(2) जिस प्रस्ताव पर इस नियम के अधीन वित्त विभाग से पूर्व परामर्श अपेक्षित हो; किन्तु जिस पर वित्त विभाग सहमत न हुआ हो, ऐसे किसी प्रस्ताव पर तब तक आगे कार्रवाई न की जा सकेगी जब तक कि परिषद् इस आशय का निर्णय न कर ले।

(3) वित्त विभाग से भिन्न कोई विभाग कोई पुनर्विनियोग वित्त विभाग द्वारा किए गए, सामान्य या विशेष प्रत्यायोजन के अनुसार ही करेगा, अन्यथा नहीं।

(4) वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित नियमों के अधीन विभागों को जहाँ तक शक्ति सौंपी गई हो, वहाँ तक छोड़कर, प्रशासी विभाग का हर आदेश, जिसके द्वारा अंकेक्षण में प्रवर्तनीय मंजूरी सूचित की जाय, वित्त विभाग की मार्फत अंकेक्षण प्राधिकारियों को संसूचित किया जायेगा।

(5) इस नियमावली में दी गई किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि किसी विभाग को, जिसमें वित्त विभाग भी शामिल है, पुनर्विनियोग अधिनियम (एप्रोप्रिएशन ऐक्ट) में उल्लिखित एक अनुदान से दूसरे अनुदान में पुनर्विनियोग करने का प्राधिकार प्राप्त है।

13. उपर्युक्त नियमों में किसी बात के होते हुए भी, विकास आयुक्त और उनके अधीनस्थ अन्य पदाधिकारियों को राज्य सरकार के संकल्प द्वारा यथा निर्देशित शक्ति और हैसियत दी जा सकेगी।

भाग 2 – मंत्रिपरिषद् की प्रक्रिया

14. मुख्य–सचिव अथवा मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त कोई अन्य पदाधिकारी, मंत्रिपरिषद् के सचिव होंगे।

15. तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट सभी मामले प्रभारी मंत्री द्वारा विचारित हो जाने के बाद परिषद् सचिव (मंत्रिमंडल सचिवालय) के मार्फत मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे ताकि उन मामलों को नियम 16 के अधीन परिचारित करने या परिषद् की बैठक में विचारार्थ रखने या अत्यावश्यक परिस्थिति में मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति की प्रत्याशा में कार्रवाई करने के लिये प्राधिकृत करने के लिये मुख्यमंत्री का आदेश प्राप्त किया जाय। जहाँ परिषद् को स्वीकृति प्रत्याशित है संबद्ध विभाग तीन सप्ताह के अन्दर परिषद् की बैठक में विचारार्थ एक संलेख उपस्थापित करेंगे।

16. (1) मुख्यमंत्री यह निर्देश दे सकेंगे कि तृतीय अनुसूची में निर्दिष्ट कोई मामला, परिषद् की किसी बैठक में विचार–विमर्श के लिये पेश होने के बदले मंत्रियों के बीच उनकी राय के लिये परिचारित किया जाय। यदि मंत्रिगण एकमत हों और मुख्यमंत्री का विचार हो कि परिषद् की बैठक में उस पर विचार–विमर्श अनावश्यक है, तो ऐसा विचार–विमर्श किए बिना ही उस मामले का निर्णय कर लिया जायेगा। यदि इस मामले पर मंत्रियों में मतैक्य न हो, अथवा यदि मुख्यमंत्री का विचार – हो कि बैठक में विचार–विमर्श आवश्यक है, तो उस पर परिषद् की बैठक में विचार–विमर्श किया जायेगा।

(2) यदि किसी मामले को मंत्रियों के बीच परिचारित करने का निर्णय किया जाये, तो मंत्रियों के बीच परिचारित किये जाने वाले उस मामले से संबंधित सभी कागज–पत्रों की प्रतिलिपियाँ साथ–साथ राज्यपाल के पास भी भेजी जायेंगी।

17. (1) जो मामले नियम 16 के अधीन राय के लिये परिचारित किए जाएँ, उनमें अगर मामले अविलव्य हो तो, मुख्यमंत्री यह निर्देश दे सकेंगे कि यदि मंत्री परिचारित संलेख में उनके द्वारा उल्लिखित तारीख तक अपनी राय परिषद्

सचिव को संसूचित नहीं करेंगे तो यह मान लिया जायेगा कि उन्होंने संलेख में दी गई सिफारिशें मान ली है।

(2) यदि मंत्रियों ने परिचारित संलेख में दी गई सिफारिशें मान ली हों अथवा जिस तारीख तक उन्हें अपनी राय संसूचित करनी हो वह तारीख बीत चुकी हो, तो परिषद् सचिव उस मामले को मुख्यमंत्री के पास उपस्थापित करेंगे। यदि मुख्यमंत्री सिफारिशें मान लें और यदि उन्हें कुछ कहना नहीं हो, तो वे उस मामले को परिषद्–सचिव के पास लौटा देंगे। परिषद् सचिव उसे संबद्ध विभाग के प्रधान सचिव/सचिव के पास भेज देंगे। उसके बाद सम्बद्ध विभाग के प्रधान सचिव/सचिव आवश्यक आदेश निर्गत करने के लिये कार्रवाई करेंगे।

18. (1) किसी मामले को परिषद् के सामने पेश करने का निर्णय हो जाने पर उस मामले से सम्बद्ध विभाग जब तक कि मुख्यमंत्री अन्यथा निर्देश न दें एक संलेख तैयार करेगा। इसमें मामले से प्रमुख तथ्य और निर्णय की बातें जहाँ तक हो सके, ठीक–ठीक दी जायेगी। साथ ही यदि मामला सीधा–सीधा अविवादास्पद न हो तो प्रतिपादित कार्रवाई के पक्ष और विपक्ष में युक्तियाँ भी पेश की जायेंगी लेकिन अंततः अनुशंसित विचार के लिहाज से लाभ पर ज्यादा और हानि पर कम जोर न दिया जायेगा।

(2) यदि संलेख की विषय–वस्तु का संबंध संलेख उपस्थापित करने वाले विभाग के अलावा सचिवालय के अन्य विभाग या विभागों से भी हो, तो इस बात का उल्लेख कर दिया जाय कि सम्बद्ध विभाग या विभागों ने संलेख में बताये तरीके से की जाने वाली कार्रवाई के सम्बन्ध में सहमति दी है या नहीं। यदि विभाग या विभागों ने कोई आपत्ति उठाई हो तो संलेख में उसका स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये तथा संलेख का प्रारूप उक्त विभाग या विभागों को दिखा देना चाहिये। आपत्ति करने वाले विभाग एक अनुपूरक संलेख उपस्थापित कर सकेगा जो मुख्य संलेख के साथ लगा दिया जाये।

(3) जिन मामलों में राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श किया गया हो, उनके विषय में आयोग के पत्र की प्रतिलिपि संलेख के साथ लगा दी जायेगी।

(4) सेवाओं में और पदों पर की जाने वाली नियुक्तियों से संबंधित मामलों में संलेख में ऐसे हर–एक उम्मीदवार की योग्यतायें पूरी–पूरी वर्णित होनी

चाहिये, जिसका नाम संलेख में अथवा संलग्न राज्य लोक–सेवा आयोग के पत्र की प्रतिलिपि में उल्लिखित हो।

(5) यदि मुख्यमंत्री निर्देश दें तो अन्य कागज–पत्र तथा टिप्पणियाँ और कार्यवृत्त की प्रतिलिपियाँ भी संलेख के अंग स्वरूप रहेंगी।

(6) मंत्रियों के बीच परिचारित करने के लिए परिषद्–सचिव के पास संलेख की आवश्यकता अनुसार प्रतियाँ भेजी जायेंगी। परिषद् सचिव संलेख की एक प्रति राज्यपाल के पास भेज देंगे।

19. जिन मामलों का सम्बन्ध अनेक मंत्रियों से हो, उनमें मंत्रिगण पहले ही विचार–विमर्श करके सहमत होने की कोशिश करेंगे। यदि मंत्रिगण सहमत हो जायें तो नियम 17 या 18 मे निर्दिष्ट संलेख मे मंत्रियों को संयुक्त सिफरिश दी जायेगी। यदि मंत्रिगण सहमत न हों, तो मतभेद की बातें और संबद्ध हरेक मंत्री की सिफारिश संलेख में लिख दी जायेगी।

20. (1) परिषद् की बैठक मुख्यमंत्री द्वारा निर्देशित स्थान और समय पर होगी।

(2) जब मुख्यमंत्री परिषद् में विचारणीय मामलों की कार्यावली (एजेंडा–पत्र) अनुमोदित करे दें, तब परिषद्–सचिव उसकी प्रतियाँ नियम 18 के अधीन परिचारित न किए गए संलेख की प्रतियों के साथ, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों के पास भेजेंगे ताकि उनके पास ऐसी बैठक की तारीख के पूरे दो दिन पहले पहुँच जाये। आपात् की स्थिति में मुख्यमंत्री, पूरे दो दिन की उक्त अवधि को कम कर सकेंगे। कार्यवली (एजेंडा) और संलेखों की प्रतियाँ साथ ही राज्यपाल के पास भेजी जायेंगी।

(3) जिस मामले में संबंधित कागज–पत्र नियम 18 की अपेक्षानुसार परिचारित न किये गये हों, वह मामला मुख्यमंत्री की अनुमति से ही बैठक की कार्यावली (एजेंडा) में शामिल किया जायेगा, अन्यथा नहीं।

(4) यदि कोई मंत्री दौरे पर हो तो कार्यावली (एजेंडा–पत्र) सम्बद्ध विभाग के प्रध ान सचिव/सचिव के पास भेजा जायेगा। यदि प्रधान सचिव/सचिव का विचार हो कि मंत्री के लौटने पर ही किसी खास मामले पर विचार–विमर्श होना चाहिए तो वह परिषद् सचिव से अनुरोध कर सकेंगे कि मंत्री के लौटने तक उस मामले पर विचार–विमर्श स्थागित रखने के लिए वह मुख्य मंत्री का आदेश प्राप्त कर लें।

(5) मुख्यमंत्री या उनकी अनुपस्थिति में उनके द्वारा मनोनीत कोई अन्य मंत्री परिषद् की बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

(6) मामले से सम्बद्ध विभाग के प्रधान सचिव/सचिव, बुलाये जाने पर, बैठक में उपस्थित होने के लिए उपलब्ध रहेंगे।

(7) परिषद्–सचिव परिषद् की सभी बैठकों में उपस्थित रहेंगे। वे बैठक की अध्यक्षता करने वाले मंत्री के अनुमोदन से हर–एक मामले के सम्बन्ध में किये गये निर्णयों का अभिलेख तैयार करेंगे। उसके बाद उस अभिलेख की एक–एक प्रति मुख्यमंत्री हर–एक मंत्री तथा राज्यपाल के पास भेज देंगे।

भाग 3 – कार्य का विभाग द्वारा निबटाव

21. किसी अन्य नियम द्वारा अन्यथा उपबंधित स्थिति को छोड़कर, मामले साधारणतः प्रभारी मंत्री द्वारा या उनके प्राधिकार से निबटाये जायेंगे। विभाग में मामलों के निबटाव के लिए प्रभारी मंत्री स्थायी आदेशों के जरिए यथोचित निर्देश दे सकेंगे और उक्त स्थायी आदेशों की प्रतियाँ राज्यपाल और मुख्यमंत्री के पास भेजी जायेंगी।

(क) (प) प्रभारी मंत्री विभाग के प्रधान सचिव/सचिव के परामर्श से ऐसी व्यवस्था करेंगे कि विभाग में जिस विषय या मामले का निबटाव किया जाये, उसे विभाग के उच्चतम स्तर तक पहुँचने के पहले अवर–सचिव के स्तर एवं उसके ऊपर के अधिकारियों के बीच दो से अधिक स्तरों से नहीं गुजरना पड़े।

(पप) यदि किसी विभाग या विभाग–समूह में प्रधान सचिव/सचिव के अतिरिक्त कोई विशेष सचिव हों, तो प्रभारी मंत्री विभागीय कार्य संचालन की व्यवस्था इस रूप में करेंगे कि विशेष सचिव को ऐसे मामलों को छोड़कर जिसमें प्रधान सचिव/सचिव का परामर्श लेना आवश्यक समझा जाये, सीधे मंत्री के पास मामले भेजने के लिए शक्ति प्रदान रहे।

(पपप) उप नियम (प) और (पप) में किसी बात के रहने पर भी प्रधान सचिव/सचिव को यह आदेश देने का प्राधिकार होगा कि कोई विशेष मामला या खास–खास ढंग के मामले उनके माध्यम से ही भेजा जाय या निष्पादित किया जाय।

(ख) प्रभारी मंत्री प्रयास करेंगे कि जहाँ तक संभव हो, विभागीय कार्यों के निबटाव के लिए सभी स्तरों/विभागों प्रशासनिक खंडों के लिए ठोस लक्ष्य निर्धारित किए जायें। लक्ष्यों की वास्तविक पूर्ति की समीक्षा विभाग के प्रधान सचिव/सचिव द्वारा अधिक से अधिक तीन महीने के अंतराल पर की जायेगी जो पूरे वर्ष या उसके किसी हिस्से से सम्बन्धित रहेगा और लक्ष्य पूर्त्ति में यदि कोई विचलन पाया जायेगा तो उसे विभाग के प्रधान संचिव/सचिव द्वारा प्रभारी मंत्री के ध्यान में लाया जायेगा और साथ ही विभिन्न स्तरों पर हुए ऐसे विचलन के लिये जिम्मेवार सरकारी सेवकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई के प्रस्ताव भी दिये जायेंगे। प्रभारी मंत्री ऐसे सभी प्रमुख विचलनों को मंत्रिपरिषद् की दृष्टि में लाने की व्यवस्था करायेंगे।

22. (1) हरेक मंत्री स्थायी आदेशों के जरिये सम्बद्ध विभाग के प्रधान सचिव/सचिव के साथ यह व्यवस्था करेंगे कि कौन–कौन से अथवा किस–किस प्रकार के विषय उनकी निजी दृष्टि में लाये जायेंगे। ऐसे स्थायी आदेशों की प्रतियाँ राज्यपाल और मुख्यमंत्री के पास भेजी जायेंगी।

(2) राज्य सेवा के किसी सम्बद्ध विभागीय संवर्ग के श्रेणी– 2 के पदाधिकारियों से सम्बन्धित निम्नलिखित अनुशासनात्मक मामले विभागीय सचिव के माध्यम से प्रभारी मंत्री के आदेशार्थ उपस्थापित किये जायेंगे :–

(i) राज्य सेवा के उपरोक्त पदाधिकारियों को निलंबित करने अथवा उन्हें निन्दन, दक्षतावरोध पर रोक, वेतन–वृद्धि या प्रोन्नति की रोक या पंक्तिच्युति का दंड देने का प्रस्ताव।

(ii) राज्य सेवा के उपरोक्त पदाधिकारियों की चरित्रियों में अभिलिखित प्रतिकूल अभ्युक्तियों के रूपभेदित या अपलोपित करने का प्रस्ताव।

टिप्पणी– i. प्रतिकूल अभ्युक्ति सम्बद्ध पदाधिकारी को विभाग के प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से संसूचित की जा सकती है। प्रभारी मंत्री कतिपय कोटि के पदाधिकारियों को प्रतिकूल अभ्युक्ति संसूक्ति करने का प्राधिकार किसी अवर प्राधिकारी को भी दे सकते हैं।

ii. क्रम संख्या (प) और (पप) पर पारित आदेशों के विरुद्ध अपील का निष्पादन मुख्य सचिव के माध्यम से मुख्यमंत्री के आदेश से होगा।

iii. संबंधित विभाग के सचिव यह सुनिश्चित करेंगे कि उपरोक्त अनुशंसानात्मक कार्रवाई करने में इस संबंध में निर्धारित नीति, नियमों और प्रक्रिया का यथावत पालन किया जाय।

(3) नियम 32 (क) (पग) (प) एवं (पप) में वर्णित पदाधिकारियों से भिन्न ऐसे पदाधिकारी जिनके वेतनमान का अधिकतम वेतन 2,900/– रु. से अधिक किन्तु 4,500/– रु. से अनधिक हो, के स्थानान्तरण/पदस्थापन एवं प्रतिनियुक्ति का प्रस्ताव मंत्रिमंडल सचिवालय के संकल्प संख्या – 3,918 दिनांक 25 अक्टूबर, 1980 के अनुसार विभिन्न विभागों के लिये सरकारी संकल्प द्वारा गठित स्थापना समिति की अनुशंसा के साथ विभागीय आयुक्त एवं सचिव के माध्यम से प्रभारी मंत्री के समक्ष निर्णयार्थ उपस्थापित किया जायेगा।

(4) उपर्युक्त उपनियम (3) में उल्लिखित पदाधिकारियों से भिन्न ऐसे पदाधिकारी जिनके वेतनमान का अधिकतम वेतन 4,500 रु. से अधिक हो, किन्तु 5,000 रु. से कम हो, के स्थानान्तरण/पदस्थापन एवं प्रतिनियुक्ति का प्रस्ताव उपर्युक्त स्थापना समिति की अनुशंसा के साथ निम्नलिखित रूप से गठित समिति के समक्ष आदेशार्थ प्रस्तुत किया जायेगा :–

(1) मुख्यमंत्री,
(2) संबंधित विभाग के प्रभारी मंत्री

मुख्य सचिव इस समिति के सचिव होंगे।

(5) ऐसे सरकारी सेवक जिसके वेतनमान् का अधिकतम वेतन 2,900 रु. से अधिक नहीं हो तथा जो कार्यालयों के प्रधान की प्रत्यायोजित शक्ति के अन्तर्गत नहीं आते हैं, उनका स्थानान्तरण, पदस्थापन विभागाध्यक्षों द्वारा किया जायेगा। उसी प्रकार कार्यालयों के प्रधान भी विभिन्न कोटि के सराकरी सेवकों के स्थानान्तरण, पदस्थापन के संबंध में प्रत्यायोजित शक्ति का प्रयोग करेंगे। यथास्थिति विभागाध्यक्ष या कार्यालय प्रधान एसे मामलों में सरकारी स्वीकृति से गठित स्थापना समिति की अनुशंसा प्राप्त करेंगे।

टिप्पणी– i. स्थापना समिति के लिये प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से प्रारम्भ में ही मार्गदर्शक सिद्धांत बनाया जायेगा।

ii. सभी स्थानान्तरण या पदस्थापन वर्ष में केवल दो बार ही किये जा सकेंगे जो कि वर्ष के दौरान साधारणतः मई–जून, तथा नवम्बर–दिसम्बर में किये जायेंगे, किन्तु विशेष परिस्थिति में, जैसे मृत्यु, बीमारी या अन्यथा, रिक्ति अथवा प्रशासनिक दृष्टिकोण से परिषद् या मंत्री द्वारा किये जाने वाले स्थानान्तरण या पदस्थापन की दिशा में मुख्यमंत्री का पूर्व आदेश प्राप्त करना होगा। यदि कोई पदाधिकारी प्रत्यायोजित शक्ति के अधीन उपर्युक्त विशेष स्थिति में स्थानान्तरण, पदस्थापन का आदेश देते हैं, तो उन्हें अपने में उच्चतर पदाधिकारी की पूर्वानुमति प्राप्त करनी होगी।

iii. प्रत्येक पदस्थापन की अवधि और स्थान साधारणतः तीन वर्षों की होगी। कतिपय पदस्थापन की अवधि और स्थान दो वर्ष भी रखे जा सकते हैं।

23. इस नियमावली में अन्यथा उपबन्धित स्थिति को छोड़कर, मामला जिस विभाग का हो, उस विभाग के प्रधान सचिव/सचिव उसे प्रभारी मंत्री के समक्ष उपस्थापित करेंगे।

24. हर विभाग हरेक राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा निपटाये गये मामलों की मासिक तालिका तैयार करेगा और प्रभारी मंत्री द्वारा दिये गये सामान्य या विशेष आदेशों के अधीन रहते हुए जिस माह में आदेश जारी किये गये हों उसके अनुवर्ती माह की समाप्ति के पूर्व, उसे प्रधान सचिव/सचिव/विशेष सचिव के माध्यम से मंत्री के पास उपस्थित करेगा। प्रधान सचिव, सचिवों, विशेष सचिवों और अपर सचिवों द्वारा निपटाये गये मामलों की तालिकायें सम्बद्ध मंत्री द्वारा देख लिये जाने के बाद मुख्य–मंत्री के पास उपस्थापित की जायेगी। प्रभारी मंत्री द्वारा निबटाये गये मामलों की मासिक तालिकाएँ मुख्य–मंत्री और राज्यपाल के पास एक साथ उपस्थापित की जायेगी।

25. यदि किसी मामले का विषय अनेक विभागों से संबंधित हो तो, जब तक सभी सम्बद्ध विभाग उस पर विचार कर ले, न तो कोई आदेश निर्गत किया जायेगा और न ही मामले को परिषद् के सामने रखा जायेगा, किन्तु यदि मामला एकदम अविलम्ब हो तो वैसी दशा में आदेश निकलने के पहले मुख्यमंत्री का आदेश ले लिया जायेगा।

26. यदि सम्बद्ध विभाग नियम 25 के अधीन निबटाये गये मामले के संबंध में एकमत न हो तो विभाग के प्रभारी मंत्री, यदि वह उस मामले पर आगे कार्रवाई करना चाहे, तो यह निर्देश दे सकेंगे कि मामला परिषद् के सामने रखने के निमित्त आदेश के लिये मुख्यमंत्री के पास उपस्थापित किया जाय।

27. (1) मुख्यमंत्री किसी विभाग से कोई भी कागज–पत्र मांग सकेगा। ये कागज--पत्र जिस विभाग के हों उसके प्रभारी मंत्री को सूचित करके इन्हें सीधे मुख्य मंत्री के यहाँ यथासंभव अविलम्ब भेज दिया जायेगा।

(2) नियम 38 (1) में यथा उपबन्धित को छोड़कर और उसके सिवाय कोई मंत्री ऐसे विभाग से कोई संचिका या कागज–पत्र की मांग नहीं करेगा जिसका वह प्रभारी मंत्री नहीं है। तथ्यों के बारे में केवल वह जानकारी की मांग कर सकता है और उस दशा में मामले से संबंधित विभाग प्रभारी मंत्री को पूर्व स्वीकृति प्राप्त करके उसे तथ्यपूर्ण संक्षिप्त टिप्पणी उपलब्ध करेगा। परन्तु यदि उसकी राय हो कि उस पर आगे की कार्रवाई की जानी चाहिए तो वह अपना मत सम्बद्ध विभाग के प्रभारी मंत्री के विचारार्थ गुप्त रूप से संसूचित करेगा और असहमति होने पर मामले को मुख्य मंत्री के सामने इस अनुरोध के साथ पेश कर सकेगा कि उक्त विषय को परिषद् के समक्ष रखा जाय। इस प्रकार परिषद् के समक्ष कागज--पत्र रखे जाने के पूर्व मामले में आगे कोई टिप्पणी नहीं लिखी जायेगी।

(3) कोई राज्य–मंत्री या उप--मंत्री ऐसे विभाग से, जो उसके प्रभार नहीं है, कोई संचिका या कागज–पत्र की मांग नहीं करेगा। तथ्यों के बारे में केवल वह जानकारी की मांग कर सकता है और उस दिशा में मामले से संबंधित विभाग, प्रभारी मंत्री की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करके उसे तथ्यपूर्ण संक्षिप्त टिप्पणी उपलब्ध करेगा।

(4) (क) मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री या किसी मंत्री के आदेश के अथवा स्व–प्रेरणा से किसी मामले से संबंधित कागज–पत्र किसी विभाग से देखने के लिए मांग सकेगा। सम्बद्ध विभाग का प्रधान सचिव/सचिव ऐसे अनुरोध का अनुपालन करेगा

(ख) मुख्य सचिव मामले की जाँच कराने के बाद इसे प्रभारी मंत्री के या प्रभारी मंत्री के मार्फत मुख्यमंत्री के आदेशार्थ उपस्थापित कर सकेंगे।

(5) प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय (निगरानी) या किसी विभाग के निगरानी कोषांग (सेल) से भिन्न, किसी विभाग का कागज–पत्र देखने के लिए मांग सकेगा, बशर्ते कि उक्त कागज–पत्र उसके विभाग के किसी मामले को निपटाने के लिए अपेक्षित हो। यदि प्रधान सचिव/सचिव द्वारा मांग की जाय तो वैसी दशा में मंत्रिमंडल सचिवालय (निगरानी) या निगरानी कोषांग से संबंधित विभाग संबंधित मूल संचिका न भेजकर, आवश्यक सीमा तक, उस मामले को केवल तथ्यपूर्ण संक्षिप्त टिप्पणी विभाग के प्रभारी मंत्री की पूर्व स्वीकृति से उसको उपलब्ध करायेगा

28. मंत्री, राज्य–मंत्री, उप–मंत्री एवं संसदीय सचिव द्वारा कार्यभार त्यागने पर उनके निजी कर्मचारियों में से वरिष्ठ स्थायी पदाधिकारी यह सुनिश्चित कर लेंगे कि मंत्री/राज्य–मंत्री/उप–मंत्री संसदीय सचिव के आवासीय कार्यालय में लंबित या निबटाये गये मामलों से संबंधित सभी संचिकाएँ सम्बद्ध विभागों को लौटा दी जायेंगी।

विभागीय सचिव भी यह देख लेंगे कि संबंधित मंत्री, राज्य मंत्री, उप–मंत्री या संसदीय सचिव के आवासीय कार्यालय से अपने विभाग की सभी लंबित संचिकाएँ मंत्री/राज्य–मंत्री/उप–मंत्री संसदीय सचिव के पद त्यागने के तुरन्त बाद विभाग में लौट जायें। यदि ऐसी कोई संचिका नहीं लौटी है, तो वे स्थिति से मुख्य सचिव को अविलम्ब अवगत करायेंगे।

29. यदि किसी मामले के बारे में यह प्रश्न उठे कि वह ठीक–ठीक किस विभाग से संबंधित है तो इसके निर्णय के लिये वह विषय मुख्य सचिव के पास भेज दिया जायेगा। मुख्य सचिव, यदि आवश्यक समझें तो, मुख्य मंत्री का आदेश प्राप्त कर लेंगे।

30. रोजमर्रे के अथवा मामूली ढंग के पत्रों से भिन्न भारत सरकार से प्राप्त सभी सरकारी पत्रादि की (जिसमें प्रधान मंत्री और अन्य केन्द्रीय मंत्रियों से प्राप्त पत्र भी शामिल हैं) प्राप्त होते ही, तुरन्त सम्बद्ध प्रधान सचिव/सचिव ऐसे पत्रों की प्रतिलिपि तैयार कर लेंगे और उसे मुख्यमंत्री तथा सभी मंत्रियों के बीच अवलोकनार्थ परिचारित करा देंगे। साथ ही, इसका एक अलग प्रतिलिपि राज्यपाल के समक्ष अवलोकनार्थ उपस्थापित की जायेगी।

31. जिस बात से राज्य सरकार के भारत सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के साथ विवाद में पड़ जाने की संभावना हो, उस बात का किसी ऐसे विवाद की संभावना दिख पड़ती हो, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रभारी मंत्री की दृष्टि में लाया जायेगा।

32. (क) निम्नलिखित मामले, प्रभारी मंत्री द्वारा विचारित हो जाने के बाद किन्तु आदेश निकालने के पूर्व, सम्बद्ध विभाग के प्रधान सचिव/सचिव मुख्य सचिव के मार्फत मुख्यमंत्री के सामने उपस्थापित करेंगेः–

(i) अनुच्छेद 161 के अनुसार दंड की क्षमा, प्रविलम्बन, विराम या छूट के अथवा दंडादेश के निलम्बन, छूट या लघुकरण के प्रस्ताव;

(ii) नीति संबंधी प्रश्न उठाने वाले मामले और प्रशासनिक महत्व के मामले जो तृतीय अनुसूची के अन्तर्गत न हों;

(iii) राज्य की शांति–सुव्यवस्था को प्रभावित करने या कर सकने वाले मामले;

(iv) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों और पिछड़े वर्गों के हितों पर प्रभाव डालने या डाल सकने वाले मामले;

(v) भारत सरकार, किसी अन्य राज्य सरकार, उच्चतम न्यायालय, या उच्च न्यायालय के साथ राज्य सरकार के सम्बन्ध पर प्रभाव डालने वाले मामले;

(vi) बिना–विचारण व्यक्तियों के निरोध के लिये अनुच्छेद 22 (4) (क) के अधीन सलाहकार बोर्ड का गठन;

(vii) नियम 22 (2) (1) से संबंधित मामले के अलावा राज्य सेवा के अन्य पदाधिकारियों को निलम्बित करने अथवा उन्हें निन्दन, दक्षता पर रोक, वेतन–वृद्धि या प्रोन्नति की रोक या पंक्तिच्युति का दण्ड देने का प्रस्ताव।

(viii) अखिल भारतीय सेवा और नियम 22 (2) (पप) से संबंधित मामले के अलावा राज्य सेवाओं के पदाधिकारियों की चारित्रियों में अभिलिखित प्रतिकूल अभ्युक्तियों को रूप–भेदित या अपलोपित करने का प्रस्ताव।

(ix) विभागाध्यक्षों की नियुक्ति या विभागाध्यक्षों के पदों पर प्रोन्नति का प्रस्ताव – (प) भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं भारतीय आरक्षी सेवा के सुपर टाइम एवं वरीय वेतनमान के पदाधिकारी एवं इन सेवाओं के उच्चतर वेतनमान पाने वाले पदाधिकारियों के संबंध में प्रस्ताव; एवं

(पप) मंत्रिमंडल सचिवालय की संकल्प संख्या 3918 दिनांक 25 अक्टूबर, 1980 के अनुसार विभिन्न विभागों के लिये गठित स्थापना समिति की अनुशंसा सहित उपर्युक्त उपनियम (पग) (1) में उल्लिखित पदाधिकारियों के अतिरिक्त विभागीय सचिव, विशेष सचिव, अपर सचिव, विभागाध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारी, जिनके वेतनमान का अधिकतम वेतन 5,000 रु. या इससे अधिक हो, के संबंध में प्रस्ताव।

(x) निर्वाचन आयोग का कोई पत्र खासकर स्टाफ की जरूरत के सम्बन्ध में और उस पर प्रस्तावित कार्रवाई।

(xi) अखिल भारतीय सेवाओं के पदाधिकारियों को देय वेतन, भत्ते या पेंशन पर प्रभाव डालने वाले प्रस्तावित नियम।

(xii) राज्यपाल की निजी स्थापना और राजभवन संबंधी मामले।

(xiii) ऐसे मामले, जो अनुसूचित क्षेत्रों में संसद या राज्य विधानमंडल के अधिनियम लागू करने तथा उन क्षेत्रों में शांति और सुशासन के लिये विनियम बनाने से संबंधित हो।

(xiv) इन नियमों से कोई भी विचन, जो मुख्य सचिव या किसी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव की जानकारी में आये।

(xv) लोक–निधि के गबन, दुर्विनियोग या हरण के ऐसे सभी मामले, जहाँ 10,000 (दस हजार) रुपये से अधिक की रकम अन्तर्ग्रस्त हो, मुख्य मंत्री के समक्ष रखे जायेंगे। उससे कम रकम वाले मामले विभाग के प्रभारी मंत्री के समक्ष रखे जायेंगे।

(xvi) परामर्शदातृ समिति, निकाय, निगम, पर्षद् इत्यादि का गठन।

(xvii) 4,150 (चार हजार एक सौ पचास) रुपये तक के अधिकतम वेतन पाने वाले पदों पर लोक–सेवा आयोग की अनुशंसा के आधार पर नियुक्ति एवं प्रोन्नति के मामले।

(xviii) किसी मामले की नीति संबंधी या प्रशासनिक महत्व का होने या न होने का प्रश्न।

(ख) मुख्यमंत्री निम्न प्रकार के मामले, आदेश निकालने के पहले, राज्यपाल के समक्ष उपस्थापित करेंगे :–

(1) अनुच्छेद 161 के अनुसार दण्ड की क्षमा, प्रबिल वन, विराम या छूट के अथवा दण्डादेश के निलम्बन, छूट या लघुकरण के प्रस्ताव;

(2) राज्य की शांति–सुव्यवस्था पर प्रभाव डालने या डाल सकने वाले मामले;

(3) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों और पिछड़े वर्गों के हितों पर प्रभाव डालने या डाल सकने वाले मामले;

(4) भारत सरकार, किसी अन्य राज्य सरकार, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के साथ राज्य सरकार के संबंध पर प्रभाव डालने वाले मामले;

(5) राज्यपाल की निजी स्थापना और राजभवन संबंधी मामले;

(6) राज्य लोक–सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों और सचिव की नियुक्ति के प्रस्ताव;

(7) ऐसे मामले, जो अनुसूचित क्षेत्रों में संसद या राज्य विधान–मंडल के अधिनियम लागू न किये जाने तथा उन क्षेत्रो में शांति और सुशासन के लिए विनियम बनाने से संबधित हों,

(8) इन नियमों से कोई भी विचलन जो मुख्यमंत्री या किसी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव की जानकारी में आए;

(9) विधान–मंडल के समक्ष रखे जाने वाले वार्षिक वित्त वितरण और अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिकाई अनुदानों की मांगों तथा विनियोग वित्त संबंधी प्रस्ताव;

(10) अध्यादेश के प्रख्यापन और प्रत्याहरण (वापसी) के प्रस्ताव;

(11) राज्य विधान–मंडल के आह्वान, सत्रावसान विघटन के प्रस्ताव;

(12) मंत्रियों के परिवार के सदस्यों, के खनिज, वन, सैरात अथवा उद्योग ध ांधा–संबंधी अधिकार, समनुदान, अनुदान, पट्टा अथवा अनुज्ञा, भूमि बन्दोबस्ती अथवा राजस्व अभ्यर्पण संबंधी मामले जिनमें अन्तिम निर्णय मंत्री अथवा मंत्रिपरिषद् को लेना हो; और

(13) प्रशासनिक महत्व के अन्य मामले जिन्हें मुख्य मंत्री आवश्यक समझें।

33. जहाँ किसी मामले में राज्यपाल समझें कि आगे और भी कोई कार्रवाई की जानी चाहिए, अथवा प्रभारी मंत्री के आदेशों के अनुसार की जाने वाली कार्रवाई से भिन्न कार्रवाई की जानी चाहिए, वहाँ राज्यपाल अपेक्षा कर सकेंगे कि यह मामला परिषद् के सामने विचारार्थ रखा जाय और ऐसी स्थिति में मामला परिषद् के सामने विचारर्थ रखा जायेगा;

34. मुख्य मंत्री –

(क) राज्यपाल के समक्ष राजकाज–प्रशासन संबंधी ऐसी जानकारी और विधान के ऐसे प्रस्ताव उपस्थापित करायेंगे जो वह मांगें, तथा

(ख) यदि राज्यपाल अपेक्षा करें, तो परिषद् के सामने ऐसे किसी विषय को विचारार्थ रखेंगे जिस पर किसी मंत्री ने तो निर्णय ले लिया हो किन्तु परिषद् ने विचार न किया जो।

वित्त विभाग

35. राज्य के वित्त पर प्रभाव डालने वाले सभी प्रस्तावों पर और खासकर निम्नलिखित प्रस्तावों पर आदेश निकालने के पूर्व, वित्त विभाग से परामर्श कर लिया जायेगा :–

(क) लोक सेवा में कोई पद जोड़ने या कोई पद तोड़ने अथवा किसी पद की उपलब्धि में हेर–फेर करने के प्रस्ताव;

(ख) किसी पद या पद–वर्ग के लिए अथवा राज्य सरकार के किसी सेवक को कोई भत्ता अथवा विशेष या किसी निजी वेतन मंजूर करने के प्रस्ताव;

(ग) ऐसे प्रस्ताव जिसमें राजस्व या परित्याग अन्तग्रस्त हो या ऐसा खर्च अन्तर्ग्रस्त हो जिसके लिए विनियोग अधिनियम (एप्रोप्रिएशन ऐक्ट) में कोई उपबन्ध न किया गया हो।

टिप्पणी – वित्त विभाग में पदों की संख्या या श्रेणी या किसी सेवा की पद संख्या या सरकारी सेवकों के वेतन या भत्ता या उनकी सेवा की अन्य किसी शर्त्तो से सम्बद्ध

हो जिसका वित्तीय प्रभाव हो, ऐसे प्रस्तावों पर आदेश निकलने के पूर्व वित्त विभाग द्वारा कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग से परामर्श कर लिया जायेगा।

36. वित्त विभाग का विचार उस विभाग के स्थायी अभिलेख में सन्निविष्ट किया जायेगा जिस विभाग का वह मामला हो और वह विचार उस मामले का अंग बन जायेगा।

37. वित्त विभाग सामान्य या विशेष आदेश द्वारा ऐसे मामले विहित कर सकेगा जिनके संबंध में यह मान लिया जायेगा कि वित्त विभाग ने अनुमति दे दी है।

38. (1) वित्त मंत्री, ऐसे मामले से संबंधित कोई कागज–पत्र मंगा सकेंगे जिसमें नियम 12 या नियम 35 में निर्दिष्ट कोई बात अन्तर्ग्रस्त हो, और विभाग मांगे गये कागज–पत्र देगा।

(2) उप नियम (1) के अधीन मागे गए कागज–पत्र प्राप्त होने पर वित्त मंत्री अनुरोध कर सकेंगे कि उन कागज–पत्रों को, उनकी टिप्पणी सहित, परिषद् के सामने रखा जाये।

(3) वित्त विभाग सभी विभागों की सामान्य वित्तीय प्रक्रिया को शासित करने के लिये तथा वित्त विभागीय कार्य और वित्त विभाग के साथ अन्य विभागों के व्यवहारो को विनियमित करने के लिये नियम बना सकेंगे।

विधि (विधान) विभाग

39. इस नियमावली में आगे उपबंधित स्थिति को छोड़कर, विधि (विधान) विभाग विधान के संबंध में उद्‌भावक या आरंभक विभाग नहीं है और इसका उचित कृत्य है उस विधान योजना को तकनीकी आकार देना, जिसकी नीति अनुमोदित हो चुकी है। विधान की विषय–वस्तु का संबंध जिस विभाग से हो उसी विभाग में विधान–आरम्भण के हरेक प्रस्ताव पर विचार होगा और ऐसे प्रस्ताव को, यदि आवश्यक हो, तो उसी विभाग में अन्तरित कर लिया जायेगा। विधान की आवश्यकता तथा विधेयक में निर्दिष्ट की जाने वाली सभी सारवान बातों पर उसी विभाग में विचार–विमर्श होगा और नियम 10 के अधीन रहते हुए वहीं उन्हें तय किया जायेगा।

40. विधान–आरम्भण का प्रस्ताव एक मामला माना जायगा और तदनुसार निबटाया जायेगा :–

परन्तु जब तक सम्बद्ध विभाग निम्न बातों के संबंध में विधि (विधान) विभाग से परामर्श न कर ले, तब तक यह मामला मुख्यमंत्री के समक्ष न रखा जायेगा :--

(1) वैधिक दृष्टि से प्रस्तावित विधान की आवश्यकता;

(2) प्रस्तावित विधान को अधिनियमित करने की राज्य की विधान–मंडल की क्षमता;

(3) उस पर राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी करने के संबंध में संविधान की अपेक्षाएँ; और

(4) संविधान के उपबन्धों और खासकर मूल अधिकारों से संबंधित उपबन्धों के साथ प्रस्तावित विधान की संगति।

41. यदि प्रभारी मंत्री विधान बनाने के बारे में अपना निर्णय दें और यदि इस विधान के चलते राज्य की संचित निधि से खर्च करना पड़े, तो सम्बद्ध विभाग वित्त विभाग के परामर्श से एक वित्तीय ज्ञापन तैयार करेगा। इसके बाद कागज–पत्र विधि (विधान) विभाग में इस अनुरोध के साथ भेज दिये जायेंगे कि वह विभाग तदनुसार विधेयक का प्रारूप तैयार करें।

42. इसके बाद विधि (विधान) विभाग विधेयक का प्रारूप तैयार करेगा और मामले को सम्बद्ध विभाग के पास वापस भेज देगा।

43. प्रशासी विभाग विधेयक के प्रारूप पर यथावश्यक पदाधिकारियों और निकायों से राय मांगेगा तथा प्राप्त राय को, कच्चे विधेयक प्रारूप की प्रति के साथ प्रभारी–मंत्री के सामने उपस्थापित करेगा।

44. यदि कच्चे विधेयक–प्रारूप को प्रभारी--मंत्री अनुमोदित कर दें तो उसे अन्य मंत्रियों के बीच परिचारित किया जायेगा और उसकी एक प्रति राज्यपाल के पास भी भेजी जायगी। यदि मुख्यमंत्री अन्यथा निर्देश न दें, तो यह कच्चा विधेयक प्रारूप परिषद् की बैठक में पेश में किया जायेगा।

45. यदि विधेयक पर संशोधन सहित या रहित, आगे कार्रवाई करने का निर्णय किया जाए, तो उद्भावक विभाग उस मामले का विधि (विधान) विभाग के पास इस अनुरोध के साथ भेज देगा कि वह विधेयक का अन्तिम प्रारूप तैयार करें।

46. इसके बाद विधि (विधान) विभाग प्रारूप को अन्तिम रूप देगा और विधेयक–प्रारूप उद्भावक विभाग के पास भेज देगा, साथ ही यदि उस विधेयक के लिए कोई मंजूरी अपेक्षित हो तो इस बारे में भी संकेत कर देगा। यदि ऐसे विधेयक का कोई उपबन्ध, जिसमें राज्य की संचित निधि से खर्च अन्तर्ग्रस्त हो, परिमार्जित प्रारूप में रूपभेदित हो जाए तो सम्बद्ध विभाग, यदि आवश्यक हो तो वित्तीय ज्ञापन के पुनरीक्षण के लिए परिमार्जित विधेयक–प्रारूप को वित्त विभाग के पास भेज देगा।

47. उद्भावक विभाग तब अन्तिम विधेयक–प्रारूप की और उस पर दिये गए सरकारी अनुदेशों को विधि (विधान) विभाग के पास भेज देगा। उन अनुदेशों के साथ विधान परिषद् या विधानसभा में विधेयक पुनःस्थापित करने के बारे में अनुदेश भी होंगे और विधेयक में अन्तर्निहित उन कागज–पत्रों की प्रतियाँ भी होंगी जिन्हें विधान परिषद् और विधानसभा को संसूचितः किया जाना चाहिए। इस अन्तरण के बाद वह विधेयक विधि (विधान) विभाग का समझा जायेगा।

48. नियम 39 में किसी बात के होते हुए भी वर्तमान अधिनियमों के मात्र संहितायन एवं समेकन तथा निरसन एवं संशोधन विधेयक जैसे औपचारिक ढंग के विधान विधि (विधान) विभाग में आरम्भ हो सकेंगे :

परन्तु विधि (विधान) विभाग विधेयक–प्रारूप की एक प्रति उसकी विषय–वस्तु से सम्बद्ध विभाग को प्रशासनिक विधान के रूप में विचार के लिए भेज देगा और जिस विभाग को यह भेजा जाए, वह विभाग तुरन्त यथोचित पूछताछ करेगा तथा उसके सम्बन्ध में अपनी राय, उस विषय पर प्राप्त हर संसूचन की एक–एक प्रति के साथ विधि (विधान) विभाग के पास भेज देगा।

49. (1) जब कभी राज्य विधान–मंडल का कोई गैर–सरकारी सदस्य कोई विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव करने के अपने अभिप्राय की सूचना दे, तब विधि (विधान) विभाग तुरन्त उस विधेयक और उद्देश्य हेतु विवरण की एक प्रति मुख्यमंत्री तथा उस मामले से सम्बद्ध विभाग के पास जानकारी के लिए भेज देगा,

(2) विधि (विधान) विभाग विधेयक को प्रथमतः एक मामले के रूप में निबटायेगा। इस क्रम में उसके तकनीकी पहलुओं पर विचार किया जायेगा, जैसे कि राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता तथा प्रस्तावित विधान अधिनियमित करने की राज्य विधान–मंडल की क्षमता। इसके बाद विधि

(विधान) विभाग अपनी राय के साथ उस विधेयक को मामले से सम्बद्ध विभाग के पास भेज देगा,

(3) यदि विधेयक के किसी उपबंध में राज्य की संचित निधि से खर्च अन्तर्ग्रस्त हो, तो संबद्ध विभाग, उस विधेयक के परिचारित होने के पूर्व, उसके सम्बन्ध में वित्त विभाग के परामर्श से एक वित्तीय ज्ञापन तैयार करेगा।

50. नियम 49 के उपबन्ध यथासम्भव उन सारवान संशोधनों पर लागू होंगे जिनकी सिफारिश प्रवर समिति ने की हो। ये उपबन्ध उन सभी संशोधनों पर भी लागू होंगे जिन्हें प्रस्तावित करने की सूचना राज्य विधान–मंडल में किसी विधेयक पर विचार के दौरान विधान–मंडल के सदस्य दें।

51. (1) जब विधान–मंडल किसी विधेयक को पारित कर दे तब सम्बद्ध विभाग और विधि (विधान) विभाग, दोनों उसकी जाँच करेंगे, और विधेयक निम्न रिपोर्टों के साथ राज्यपाल के पास अग्रसारित कर दिया जायेगा :–

(क) यदि कारण हो तो सम्बद्ध विभाग के प्रधान सचिव/सचिव की रिपोर्ट के विधेयक पर राज्यपाल की अनुमति क्यों नहीं दी जानी चाहिए; और

(ख) यदि कारण हो तो विधि–सचिव की रिपोर्ट को विधेयक पर राज्यपाल की अनुमति क्यों नहीं दी जानी चाहिये अथवा विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ क्यों नहीं रखा जाए;

(2) जहाँ राज्यपाल निर्देश दें कि विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ रखा जाय अथवा उसे विधान–मंडल को किसी संदेश के साथ वापस कर दिया जाए, जहाँ राज्यपाल के सचिव, सम्बद्ध प्रशासी विभाग के प्रधान सचिव/सचिव और विधान–सचिव से परामर्श करके इस विषय में आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

(3) यथास्थिति राज्यपाल या राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होने के बाद विधि (विधान) विभाग उस विधेयक को राज्य विधान–मंडल के अधिनियम के रूप में सरकारी गजट में प्रकाशित करने के लिये कार्रवाई करेगा।

52. जब कभी विधि (विधान) विभाग से भिन्न किसी विभाग में –

(i) कोई परिनियम, नियम, अधिसूचना या आदेश निकालने का, अथवा

(ii) अधीनस्थ प्राधिकार द्वारा कोई नियम, उप–विधि, अधिसूचना या आदेश निकाले जाने के लिये परिनियत शक्ति के अधीन मंजूरी देने का; अथवा

(iii) केन्द्रीय सरकार द्वारा निकाले जाने के लिये कि जिस परिनियत नियम, अधिसूचना या आदेश का प्रारूप केन्द्रीय सरकार के समक्ष उपस्थापित करने का प्रस्ताव किया जाये, तब सम्बद्ध प्रारूप, राय और यथावश्यक पुनरीक्षण के लिये विधि (विधान) के पास भेज दिया जायेगा।

विधि (न्याय) विभाग

53. सभी प्रशासी विभाग निम्न बातों के सम्बन्ध में विधि (न्याय) विभाग (विधि परामर्शी) से परामर्श करेंगे :–

(क) परिनियम, अधिनियम, विनियम और परिनियम, नियम, आदेश तथा अधिसूचना का अन्वय (अर्थ लगाना);

(ख) किसी मामले से उद्भूत सामान्य विधि सिद्धांत, तथा

(ग) किसी प्रशासी विभाग की प्रेरणा से कोई अभियोजन चलाया या उठाया जाना।

टिप्पणी– अभियोजन सम्बन्धी स्वीकृत्यादेश विधि (न्याय) विभाग द्वारा ही निर्गत किया जायेगा।

(2) ऐसे हरेक निर्देश के साथ मामले के तथ्यों का और जिस बात या जिन बातों पर विधि (न्याय) विभाग की सलाह वांछित हो, उस बात या उन बातों का ठीक–ठीक विवरण भेजा जायेगा।

उद्योग विभाग

54. नये उद्योगों की स्थापना में या राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन निगमों प्राधिकारों में पदों के सृजन और उन पर नियुक्ति के मामले में उद्योग विभाग के अन्तर्गत गठित स्थायी समिति अनुशंसा करेगी। तदुपरान्त परिषद् का आदेश उस पर प्राप्त किया जायेगा। स्थायी समिति द्वारा लिया गया निर्णय संबंधित विभागों की औपचारिक सहमति से लिया गया निर्णय माना जायेगा।

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

55. किसी सेवा, संवर्ग, पद समूह या पद की भर्ती, नियुक्ति या प्रोन्नति संबंधी नियमावली अथवा इनसे संबंधित नीति या प्रक्रिया विषयक अधिसूचन संकल्प या आदेश प्रख्यापित करने के पहले कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग से परामर्श कर लिया जायगा।

भाग 4 – अनुपूरक

56. सम्बद्ध विभाग का प्रधान सचिव/सचिव, हरएक मामले में कार्य के उचित सम्पादन और इस नियमावली के सावधानी से अनुपालन का उत्तरदायी है। जहाँ वह समझे कि इस नियमावली से कोई सारभूत विचलन हुआ है, वहाँ स्वयं यह बात प्रभारी मंत्री और मुख्य सचिव की दृष्टि में लायेगा।

57. यह नियमावली आवश्यकतानुसार उन अनुदेशों द्वारा अनुपुरित की जा सकेगी, जो मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल निकालें।

प्रथम अनुसूची

प्रस्तावित झारखंड राज्य हेतु विभागों का सृजन

1. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग।
   (संसदीय कार्य, सूचना एवं जनसम्पर्क, पर्यटन विभाग सहित)
2. गृह विभाग (गृह कारा सहित)।
3. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग।
4. वित्त एवं सिविल विमानन विभाग (वित्त वाणिज्यकर एवं राष्ट्रीय बचत सहित)
5. योजना, विकास, सांख्यिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग।
6. नगर विकास, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण एवं आवास विभाग।
7. कल्याण खाद्य आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग (अल्पसंख्यक कल्याण सहित)।
8. मानव संसाधन विभाग (उच्च शिक्षा, से.प्रा. एवं वयस्क शिक्षा, कला, संस्कृति एवं युवा कार्य विभाग सहित)।
9. विज्ञान, प्रावैधिकी, सूचना तकनीकी उद्योग विभाग।
10. खान एवं भूतत्व विभाग।
11. वन एवं पर्यावरण विभाग।
12. कृषि, सहकारिता, पशु एवं मत्स्य पालन विभाग।
13. जल संसाधन एवं ऊर्जा विभाग।
14. लोक निर्माण विभाग (पथ निर्माण, भवन निर्माण एवं परिवहन)।
15. राजस्व, भूमि सुधार, निबंधन, उत्पाद, मद्य निषेध, सहाय्य एवं पुनर्वास विभाग।
16. श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग।
17. विधि विभाग।
18. स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।
19. ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण अभियंत्रण संगठन सहित)।

सचिवालय विभागों के बीच कार्यों के वर्गीकरण और वितरण की सूची :–

1. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग।
(संसदीय कार्य, सूचना एवं जनसम्पर्क, पर्यटन विभाग सहित)
के मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग

(i) मंत्रिपरिषद् की बैठक–विषयक कार्य।

(ii) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग और गृह विभागों से संबंधित पत्रों से भिन्न मुख्य सचिव को सम्बोधित पत्र।

(iii) सरकारी विभागों के मासिक कार्यकलापों का प्रतिवेदन।

(iv) विकास आयुक्त द्वारा निबटाये जाने वाले विषयों से भिन्न, सचिवालय स्तर पर अंतर्विभागीय संबंधी विषय।

(v) कार्यपालिका नियमावली में विनिहित मुख्य सचिव के कृत और कर्त्तव्य संबंधी विषय।

(vi) कार्यपालिका नियमावली

(vii) राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी कार्य।

(viii) राज्यपाल सचिवालय सबंधी प्रशासनिक विषय

(ix) मंत्रियों की नियुक्ति एवं उनके बीच विभागों का आवंटन।

(x) मंत्रियों के आप्त सचिवों एवं अपर आप्त सचिवों की नियुक्ति।

(xi) मंत्रियों, राज्य मंत्रियों, उप मंत्रियों, संसदीय सचिवों की उपलब्धियाँ।

(xii) मुख्य मंत्री सचिवालय संबंधी प्रशासनिक विषय।

(xiii) संस्थाओं को मान्यता प्रदान।

(xiv) भारत सरकार अथवा अन्य राज्यों के मंत्रियों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों का आगमन।

(xv) राज चिन्ह, राष्ट्रीय गीत एवं राष्ट्रीय ध्वज।

(xvi) राज्य समारोह का आयोजन।

(xvii) गणतंत्र दिवस एवं स्वतंत्रता दिवस समारोह।

(xviii) राज्य अंत्येष्टी।

(xix) राज्य अतिथिशाला (राँची परिसदन में अति महान आगन्तुक पक्ष के साथ)

(xx) सचिवालय ग्रंथागार।

(xxi) राज्य अभिलेखागार।

(xxii) निगरानी।

(xxiii) संसद निर्वाचन।

(xxiv) राज्य विधान मंडल निर्वाचन।

(xxv) प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन विंग (परियोजना संगठन सहित)

ख. संसदीय कार्य विभाग

(i) विधान सभा के अधिवेशन के लिए राज्यपाल के अभिभाषण का प्रारूप तैयार करना।

(ii) विधान सभा के सत्रों का आह्वान और सत्रावसान करना।

(iii) राज्य विधान सभा के सत्रों के लिए कार्यक्रम तैयार करना।

(iv) विधान सभा में विधायी एवं अन्य सरकारी कार्यों का आयोजन एवं समन्वय।

(v) विभिन्न विभागों से संबंधित विधानसभा के सदस्यों की अनौपचारिक परामर्शदातृ समितियों का गठन एवं उनका क्रियान्वयन।

(vi) विभागों द्वारा विधानसभा के प्रश्नों, निवेदनों, ध्यानाकर्षण प्रस्तावों एवं कार्यस्थगन प्रस्तावों के उत्तर, आश्वासनों के कार्यान्वयन आदि की समीक्षा उसका अनुसरण।

(vii) विधानसभा की समितियों की सामान्य रूप से लागू अनुशंसाओं पर विभिन्न विभागों द्वारा की जानेवाली कार्रवाई का समन्वय।

(viii) विधानसभा के सदस्यों की शक्तियाँ, विशेषाधिकारों एवं प्रभृतियों से संबंधित मामलों, संसदीय प्रणाली और कार्य के संबंध में परामर्श देना।

(ix) विधानसभा के सदस्य, पीठासीन पदाधिकारियों एवं उप पीठासीन पदाधिकारियों की उपलब्धियाँ।

(x) विभिन्न दलों के नेताओं एवं सचेतक के साथ सम्पर्क।

(xi) विधानसभा के कार्यों के संबंध में आवश्यकतानुसार विभाग से सम्पर्क।

(xii) विधानसभा के पटल पर विभिन्न प्रतिवेदनों का विभागों के द्वारा रखा जाना।

(xiii) गैर सरकारी सदस्य द्वारा संसूचित प्रस्ताव पर सदन में वाद–विवाद के सरकारी समय का आवंटन।

(xiv) सरकार द्वारा गठित समितियों तथा निकायों के लिए विधानसभा के सदस्य का मनोनयन।

टिप्पणी – किसी विभाग द्वारा गठित परामर्शदातृ समिति निकाय, निगम पर्षद आदि में जब कभी विधानसभा के सदस्यों को रखना अभिष्ट हो प्रभारी मंत्री द्वारा विचारित हो जाने के बाद, मगर आदेश निकालने के पहले संबद्ध विभाग उनके मनोनयन से संबंधित प्रस्ताव संसदीय कार्य विभाग के प्रभारी मंत्री के माध्यम से मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

(xv) संसदीय मामलों संबंधित समय--समय पर सौंपे गये अन्य कार्य।

ग सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग

(i) प्रेस, जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी है :–

1. प्रेस के साथ सम्पर्क
2. प्रेस नोट समाचार, लेख आदि प्रेस को जारी करना।
3. राज्य में प्रकाशित होने वाले हिन्दी, अंग्रेजी तथा उर्दू के समाचार–पत्रों के टोन एवं टेम्पर की समीक्षा।
4. झारखंड में स्थित हिन्दी, अंग्रेजी तथा उर्दू के समाचार–पत्रों की नीति पर पाक्षिक गोपनीय प्रतिवेदन सरकार के समक्ष प्रस्तुतिकरण।
5. प्रेस प्रतिनिधियों को विभिन्न क्षेत्रों का परिदर्शन कराना।
6. प्रेस सम्मेलन का आयोजन।
7. प्रेस संवाददाताओं को मान्यता प्रदान करना एवं प्रेस प्रमाण–पत्र जारी करना।

(ii) सभी सरकारी सजावटों तथा वर्गीकृत विज्ञापनों का समाचार–पत्रों में प्रसारित कराना एवं तत्सम्बन्धी देयकों का केन्द्रीकृत रूप में भुगतान।

(iii) राज्य सरकार की उपलब्धियों एवं विकास कार्यक्रमों पर विभिन्न भाषाओं में पर्चे, पोस्टर, होर्डिंग, पुस्तिका आदि प्रकाशन से संबंधित प्रचार साहित्य।

(iv) राज्य में तथा राज्य के बाहर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए राज्य सरकार क उपलब्धियों का प्रचार।

(v) भिन्न–भिन्न भाषाओं, यथा राँची से अंग्रेजी/हिन्दी/उर्दू में प्रकाशित साप्ताहिक यथा झारखंड इन्फारमेशन/झारखंड समाचार/झारखंड की खबरें, देवघर से संथाली में प्रकाशित साप्ताहिक होड़ सौम्वाद तथा राँची से हिन्दी में प्रकाशित साप्ताहिक आदिवासी पत्रिकाओं द्वारा झारखंड के सांस्कृतिक, आर्थिक विकास के बारे में प्रचार।

(vi) प्रदर्शनी :–

1. राज्य में तथा राज्य के बाहर प्रदर्शनी लगाना।
2. दूसरे राज्यों, केन्द्रीय सरकार, अन्य राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा आयोजित प्रदर्शनी में भाग लेना।

(vii) न्यूज रील, डोक्युमेन्ट्री तथा फीचर फिल्म का निर्माण तथा उसके माध्यम से राज्य में हुए प्रगति, विकास तथा संस्कृति का प्रचार।

(viii) रेडियो–आकाशवाणी से सम्पर्क – देहाती रेडियोगोष्ठी – रेडियो के माध्यम से प्रचार।

(ix) टेलीविजन के माध्यम से प्रचार।

(x) क्षेत्रीय प्रचार–कार्य।

(xi) सूचना केन्द्र

(xii) सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग में नियोजित सभी पदाधिकारियों का नियंत्रण।

(xiii) सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग के दखल में स्थित सभी भवनों का प्रशासनिक प्रभार।

घ पर्यटन विभाग

(i) पर्यटन की दृष्टि से धार्मिक, ऐतिहासिक एवं दर्शनीय स्थलों का विकास।

(ii) झारखंड में होटल उद्योग का विकास।

(iii) देशी एंव विदेशी पर्यटकों के लिए आवास, परिवहन, मार्गदर्शन एवं उपहार (केटरिंग) की व्यवस्था।

(iv) पर्यटन साहित्य प्रकाशन

(v) पर्यटन व्यवस्था के लिए स्थापित भिन्न–भिन्न संस्थाओं जैसे – पर्यटन सूचना केन्द्र, युवा आवास, टुरिष्ट बंगला।

(vi) पर्यटन विभाग में नियोजित सभी पदाधिकारियों का नियंत्रण।

(vii) पर्यटन विभाग के दखल में स्थित सभी भवनों का प्रशासनिक प्रभार।

2. गृह विभाग (गृह कारा सहित)

क. गृह विभाग

(i) विशेष शाखा

1. भारत में और प्रतिरक्षा, आंतरिक सुरक्षा या परराष्ट्र मामलों से संबद्ध राज्य कारणों से, निवारक निरोध
2. प्रसारण
3. सामान्य राजनैतिक विषय और सार्वजनिक सुव्यवस्था
4. राज्य के भीतर क्षेत्रीय परिवर्तन और उससे संबंधित भूमि की घोषणा (जिलों और अनुमंडलों के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार को छोड़कर)।
5. राज्य और राजनैतिक कैदी।
6. समाचार पत्रों, पुस्तकें और मुद्रणालयों का नियंत्रण।
7. गृह रक्षा वाहिनी।
8. मिशनरी कार्य की समितियों को मान्यता प्रदान और विदेशी मिशनरियों को प्रमाण–पत्र देना।
9. पार–पत्र एवं प्रवेश–पत्र।
10. कारा, कारा के उपयोग के लिए अन्य राज्यों के साथ व्यवस्था।
11. कारा विभाग में नियोजित सभी विभाग का नियंत्रण।

12. कारा विभाग के दखल में स्थित सभी भवनों का प्रशासनिक प्रभार।
13. कैदियों, अभियुक्त व्यक्तियों और निबारक–निरोध के अधीन रखे गये व्यक्तियों को एक राज्य से दूसरे राज्य में हटाना।
14. जाँच आयोग अधिनियम का प्रशासन।
15. सचिवालय आतिथ्य कार्यालय।
16. राजनीतिक पीड़ितों को पेंशन।
17. व्यक्ति विशेष के नाम में परिवर्तन।
18. पूर्वी क्षेत्रीय परिषद (अन्तरराज्य परिषद सहित)।
19. राष्ट्रीय एकीकरण।
20. दूरमुद्रण सेवा।

(ii) आरक्षी शाखा

1. आयुध, आग्नेयास्त्र, गोला–बारूद।
2. पुलिस, रेलवे पुलिस और ग्राम पुलिस सहित, इसमें पुलिस के स्थानों और चौकियों के क्षेत्राधिकार के परिवर्तन भी शामिल हैं।
3. बाजी और जुए का विनिमय।
4. विधि विज्ञान प्रयोगशाला।
5. रंगशाला (थियेटर) और नाट्य अभिनय।
6. जंगली जानवरों के विनाश के लिए पुरस्कार।
7. राज्य पुलिस बेतार।
8. विस्फोटक।
9. झारखंड के भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण और उनकी सहायता।
10. आरक्षी भवन निर्माण निगम का नियंत्रण।
11. आरक्षी विभाग में नियोजित सभी पदाधिकारियों का नियंत्रण।
12. आरक्षी विभाग के दखल में स्थित सभी भवनों का प्रशासनिक प्रभार।

(iii) सामान्य शाखा

1. राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित सैनिक या सशस्त्र पुलिस से भिन्न भारतीय सेना और वायु सेना अथवा भारत में गठित किसी अन्य सैन्य दल (फोर्स) से संबंधित सभी विषय।
2. सेना और वायुसेना संबंधी निर्माण, छावनियाँ।
3. परराष्ट्र (विदेशी) मामले, जिनमें देशीयकरण और अन्य देशायें भी शामिल हैं।
4. भारत से बाहर तीर्थ यात्रा (हज सहित)।
5. केन्द्रीय राजस्व से देय राजनीतिक पेंशन और अन्य राजनीतिक व्यवहार।
6. सिविल (दिवानी) न्यायालयों में स्वयं उपस्थिति से विमुक्ति।
7. देश प्रत्यावर्तन।
8. सराय और सरायपाल।
9. नागरिकता।
10. सैनिक महाविद्यालय देहरादून में प्रवेश।
11. ध्वनि विस्तार नियंत्रण।
12. रेलवे स्टेशन का नामकरण।

3. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग।

क. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

(i) भारतीय सिविल सेवा और भारतीय प्रशासनिक सेवा।

(ii) झारखंड सिविल सेवा (न्याय पदाधिकारी सहित) और अवर सिविल सेवा।

टिप्पणी – प्रविष्टि (i) और (ii) में विनिर्दिष्ट सेवा के जो पदाधिकारी प्रशासन की ऐसी शाखाओं में नियोजित है, जिनका नियंत्रण सचिवालय के अन्य विभाग करते हैं, उन पदाधिकारियों का विनांतर नियंत्रण सम्बद्ध विभाग करेगा

किन्तु उन्हें दंड देने या निन्दन करने के किसी प्रस्तावित आदेश पर बराबर कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग से परामर्श कर लिया जाय। जिस कार्यवाई का परिणाम इन सेवाओं के किसी सदस्य की बर्खास्तगी, हटाया जाना या पदच्युत हो, वह कार्यवाई कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग में की जायेगी।

(iii) उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति।

(iv) भारतीय सिविल सेवा (आई.सी.एस.) या भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई.ए.एस.) अथवा भारतीय सिविल सेवा या भारतीय प्रशासनिक सेवा के संवर्गगत पदों को मौलिक या स्थानापन्न रूप से धारण करने वाले पदाधिकारियों के राँची स्थित निवासों से भिन्न निवासों का प्रशासनिक सुधार।

टिप्पणी – उसमें भारतीय सिविल सेवा या भारतीय प्रशासनिक सेवा के उन पदाधिकारियों के निवास शामिल नहीं हैं जो अनुमंडलों के प्रभारी हैं।

(v) सिविल सूची।

(vi) वेतन, छुट्टी, भत्ते, पेंशन तथा अन्य वित्तीय विषयों को विनियमित करने वाले नियमों को छोड़कर लोक सेवा पर प्रभाव डालने वाले सभी नियमों का निर्वाचन।

(vii) अवकाश

(viii) विभागीय परीक्षाएँ।

(ix) सरकारी आचार नियमावली।

(x) लोक सेवा आयोग।

(xi) भारत संविधान संबंधी प्रश्न।

(xii) जिलों और अनुमंडलों का प्रादेशिक क्षेत्राधिकार।

(xiii) सभी राज्य कर्मियों (राज्य सेवायें) की जनबल योजना और प्रशिक्षण की योजना। योजना विभाग के जनबल विषय से इसका कोई संबंध नहीं रहेगा।

(xiv) सभी राज्य कर्मियों राज्य स्तरीय सरकारी सेवकों के सेवा–जीवन विकास का समन्वय।

(xv) संघीय लोक सेवा आयोग के साथ सम्पर्क।

(xvi) उंचे पदों के लिए कार्मिकों का विकास। राज्य सचिवालय में सचिव, उप सचिव, अवर सचिव और सहायक सचिव स्तर के पदाधिकारियों तथा क्षेत्रीय गठन के समकक्ष पदाधिकारियों की नियुक्तियाँ।

(xvii) कार्मिक प्रशासन संबंधी शोध कार्य।

(xviii) संगठन पद्धति।

(xix) सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के सहायकों, आशुलिपिकों, निम्नवर्गीय सहायकों, टंककों आदि की नियुक्ति एवं उनके लिए विहित परीक्षाओं का संचालन।

(xx) सचिवालय अनुसचिवीय कर्मचारियों का संयुक्त सम्वर्ग का नियंत्रण एवं स्थापना।

(xxi) सभी विभागों से संबंधित चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की स्थापना।

(xxii) प्रशासनिक सुधार।

(xxiii) लोक आयुक्त की नियुक्ति और उनकी स्थापना आदि से संबंधित सभी विषय।

(xxiv) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं पिछड़ी जाति के आरक्षण।

ख. राजभाषा विभाग

(i) राज्य सरकार की भाषा नीति का निर्धारण और कार्यान्वयन।

(ii) गजेटियर तथा कानून के अनुवाद कार्य सहित राजकीय साहित्य का हिन्दी अनुवाद।

(iii) हिन्दी में सरकारी कामकाज करने के लिए मार्गदर्शक साहित्य की रचना और प्रकाशन।

(iv) पारिभाषिक शब्दावली का संकलन, रचना, प्रकाशन एवं प्रचार।

(v) सरकारी सेवाओं में नियुक्ति, सम्पुष्टि तथा प्रोन्नति के लिए ली जाने वाली परीक्षाओं में राजभाषा हिन्दी की आस्थिति निर्धारण।

(vi) सरकारी सेवकों के लिए हिन्दी प्रशिक्षण तथा परीक्षा का संचालन।

(vii) केन्द्र एवं अन्य राज्यों के पास राजभाषा विषयक समन्वय कार्य।

(viii) राजभाषा संबंधी सम्मेलन, गोष्ठी, प्रदर्शन आदि का आयोजन तथा इस हेतु संबंधित संस्था को अनुदान स्वीकृत करना।

(ix) सरकारी कार्यालयों में हिन्दी की प्रगति का निरीक्षण कार्य।

(x) हिन्दी प्रगति समिति एवं अन्य परामर्शदातृ समितियाँ

(xi) भाषायी अल्प–संख्यकों की भाषा उर्दू, बंगला तथा उड़ीया में राजकीय साहित्य अनुवाद तथा प्रकाशन।

(xii) 'राजभाषा' पत्रिका संबंधी प्रकाशन संबंधी प्रकाशन कार्य।

(xiii) राजभाषा शोध संस्थान।

(xiv) विभिन्न विभागों में हो रहे राजभाषा संबंधी कार्यों का समन्वय।

4. वित्त एवं सिविल विमानन विभाग। (वित्त वाणिज्यकर एवं राष्ट्रीय बचत सहित)

क. वित्त विभाग

(i) आय पर कर।

(ii) करेंसी, सिक्काकारी और विधि–ग्राह्य मुद्रा।

(iii) संघीय राष्ट्र ऋण।

(iv) राज्य सरकार के मुद्रणालय।

(v) लेखन सामग्री एवं प्रपत्र।

(vi) अंकेक्षण, जिसमें स्थानीय निकायों की आय एवं व्यय का सरकारी एजेंसी द्वारा अंकेक्षण भी शामिल है।

(vii) राज्य अंकेक्षण संस्था।

(viii) लेखा प्रशिक्षण विद्यालय।

(ix) राज्य सरकार द्वारा रुपया उधार लिया जाना और ऋण प्रदान।

(x) राज्य का लोक ऋण।

(xi) वित्तीय और लेखा विषयक नियम–विनिमय बनाना, संहिताएँ तैयार करना एवं उनका निर्वाचन तथा वित्तीय ढंग के अन्य प्रश्नों का निर्वाचन।

(xii) सरकारी सेवकों की सेवा शर्तें, वेतन, भत्ता, वेतन पुनरीक्षण, वेतन निर्धारण एवं पेंशन।

टिप्पणी – सेवाओं पर सामान्य तथा प्रतिकूल प्रभाव डालनेवाले नियमों में परिवर्तन करने के पूर्व कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग से परामर्श कर लिया जायेगा।

(xiii) महंगाई भत्ता।

(xiv) पेंशन रूपांतरण तथा अनुकम्पा अनुदान।

(xv) सामान्य भविष्यनिधि, अंशदायी भविष्यनिधि, भारतीय सिविल सेवा (आई.सी.एस.) भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई.ए.एस.) की भविष्य निधियाँ।

(xvi) अनिवार्य जमा योजना।

(xvii) गाड़ी खरीदने, मकान बनाने, यात्रा खर्च, विवाह, त्योहार एवं अन्यान्य अग्रिम।

(xviii) विभागों द्वारा दी गयी सामग्री के आधार पर वार्षिक वित्त विवरण और अनुपूरक व्यय विवरण तैयार करना, पुनर्विनियोग एवं बचत का प्रत्यावर्त्तन।

(xix) विभागों द्वारा दी गयी सामग्री के आधार पर सम्पादन आय–व्ययक बनाना।

(xx) लेखा विनियोग तथा अंकेक्षण प्रतिवेदन।

(xxi) अकाल सहाय्य निधि का प्रबंध।

(xxii) नियत एवं अनियत अनुदान।

(xxiii) राज्य आकस्मिक निधि।

(xxiv) वर्दी एवं तम्बू।

(xxv) कार्यपालिका नियमावली के नियम 12 के अधीन वित्त विभाग द्वारा किये जाने वाले सामान्य प्रत्यायोजन।

(xxvi) सभी विभागों पर सामान्य प्रभाव डालने वाले मामलों से अद्भुत लिपिक और चतुर्थवर्गीय स्थापनाओं का समान पुनरीक्षण।

(xxvii) कोषागार निदेशालय।

(xxviii) गबन एवं क्षति।

(xxix) कर बढ़ाना एवं घटाना।

(xxx) वाणिज्य–कर।

(xxxi) मनोरंजन–कर, बिक्री–कर, शुल्क, मोटर स्प्रीट की खुदरा बिक्री पर कर, सिनेमा शो द्वारा विज्ञापन पर कर एवं कृषि आय–कर।

(xxxii) बिहार वित्तीय सेवा एवं वाणिज्यकर तथा वित्त विभागों में काम करने वाले सभी पदाधिकारियों का नियंत्रण।

(xxxiii) राँची स्थित राजपत्रित पदाधिकारियों के निवास गृह को छोड़कर वाणिज्य–कर तथा वित्त विभाग के भवनों का प्रशासनिक प्रभार।

(xxxiv) बैंकिंग।

(xxxv) बीमा।

(xxxvi) व्यापार नियमों का निगमन, विनियमन और समापन जिसमें बैंकिंग, बीमा और वित्त निगम शामिल है किन्तु सहयोग समितियाँ नहीं।

(xxxvii) लॉटरी निदेशालय।

(xxxviii) राष्ट्रीय बचत योजनां

(xxxix) चिट फंड।

(xL) लोक उपक्रम ब्यूरो।

(xLi) साधन स्रोत एवं अनुसंधान कोषांग।

(xLii) प्रशासी पदवर्ग समिति।

(xLiii) सचिवालय अवधायक स्थापना।

ख. सिविल विमानन

(i) सरकारी वायुयान।

(ii) वायुयान, वायु परिवहन, हवाई यातायात का विनिमय और संगठन।

(iii) बिहार उड्डयन संस्था।

(iv) वैमानिक प्रशिक्षण का उपलब्ध सभी राज्यों और अन्य एजेंसियों द्वारा बंधित ऐसी प्रशिक्षण का विनियमन।

5. योजना, विकास, सांख्यिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग।

क. योजना एवं विकास विभाग

(i) राष्ट्रीय विकास परिषद।

(ii) योजनागत परियोजना समिति।

(iii) (क) राज्य की पंचवर्षीय योजना का सूत्रीकरण, छानबीन तथा सामंजन योजना प्रचार, योजना संबंधी आंकड़ों का संग्रह।

(ख) जनजाति उप योजना का पंचवर्षीय तथा वार्षिक योजना के साथ समन्वय तथा इस संबंध में समग्र समन्वय।

(iv) योजना के लिए साधन स्रोतों का निर्धारण और उनका बंटवारा तथा योजनागत परियोजनाओं की सामान्य प्रगति का मूल्यांकन।

(v) क्षेत्रीय विकास एवं जिला योजना।

(vi) जन–शक्ति आयोजन तथा सर्वेक्षण।

(vii) राज्य एवं राज्य से बाहर आयोजित (विदेशी प्रशिक्षण समेत) प्रशिक्षणों में राजकीय पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति।

(viii) पिछड़ें क्षेत्रों एवं औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों की पहचान।

(ix) लोक प्रशासन संस्थान (इन्स्टीच्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन) द्वारा सर्वेक्षण अध्ययन कार्यक्रम।

(x) जन सहयोग।

(xi) ग्रोथ केन्द्रों में अग्रशोध परियोजना।

(xii) विशेष नियोजन निदेशालय।

(xiii) सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय।

(xiv) राज्य योजना आयोग।

(xv) उत्तरीय छोटानागपुर स्वशासी विकास प्राधिकार।

(xvi) दक्षिणी छोटानागपुर स्वशासी विकास प्राधिकार।

(xvii) संथाल परगना स्वशासी विकास प्राधिकार।

(xviii) विकास आयुक्त से संबंधित कोई अन्य विषय।

ख. सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग

(i) 20 सूत्री कार्यक्रम का सफल कार्यान्वयन, समन्वय और मॉनिटरिंग।

(ii) विदेशी सहायता से संबंधित प्रोजेक्ट्स, केन्द्रीय प्रोजेक्ट्स तथा केन्द्रीय स्पॉन्सर्ड स्कीम के बारे में समन्वय करना तथा इसके संबंध में भारत सरकार से सम्पर्क रखना एवं राज्य सरकार में गहन मॉनिटरिंग करना और इन प्रोजेक्टों तथा स्कीमों का कार्यान्वयन।

(iii) सांस्थिक वित्त संस्थाओं जैसे बैंक, आई.डी.बी.आई. इत्यादि से सम्पर्क रखना, सांस्थिक वित्त से संबंधित सभी प्रोजेक्ट तथा स्कीम का समन्वय तथा मॉनिटरिंग करना।

(iv) सभी विभागों से सम्पर्क स्थापित कर 'प्रोजेक्ट तथा स्कीमों' को भली–भांति तैयार करना।

6. नगर विकास, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण एवं आवास विभाग।

क. नगर विकास विभाग

(i) स्थानीय शासन, अर्थात् स्थानीय स्वशासन के प्रयोजनार्थ नगर निगमों, नगरपालिकाओं और अधिसूचित क्षेत्रों, सुधार न्यासों (इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट) खनन बन्दोबस्त प्राधिकारों तथा अन्य स्थानीय प्राधिकारों का गठन और शक्तियाँ।

(ii) नगर क्षेत्रों में कांजी हाउस और पशु–अतिचार निवारण।

(iii) नगरपालिका क्षेत्रों में ट्रामवे।

(iv) झारखंड भू–उपयोग प्रतिबंध अधिनियम (बिहार रेस्ट्रिक्शन ऑफ युसज ऑफ लैंड ऐक्ट) का प्रचलन।

(v) नगर तथा क्षेत्रीय निवेशन।

(vi) परिवेशात्मक आयोजन तथा समन्वय।

(vii) सिनेमा।

(viii) क्षेत्रीय विकास प्राधिकारों का नियंत्रण।

(ix) नगरपालिका क्षेत्रों में लावारिश मवेशियों की हड्डी का संचयन और उसकी बन्दोबस्ती।

(x) गन्दी बस्ती सफाई योजना।

(xi) भू–अर्जन और विकास स्कीम।

(xii) नगर विकास विभाग में नियोजित सभी पदाधिकारियों का नियंत्रण।

(xiii) नगर विकास विभाग के दखल में स्थित सभी भवनों का प्रशासनिक प्रभार।

(xiv) बिहार मकान (पट्टा, किराया, बेदखली) नियंत्रण अधिनियम, 1982 (बिहार अधिनियम 4, 1983) का संचालन। जी.एम.आर. 12, दिनांक 20 अप्रैल, 1983)

(xv) झारखंड जल एवं वाहित मल परिषद का नियंत्रण।

ख. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

(i) लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण कार्य (पेय जलापूर्ति, मल प्रणालिका, जल निकास और अन्याय स्वच्छता योजनाएँ)

(ii) लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में नियोजित सभी पदाधिकारियों का नियंत्रण।

(iii) लोक स्वास्थ्य विभाग के दखल में स्थित सभी भवनों का प्रशासनिक प्रभार।

ग. आवास विभाग

(i) झारखंड औद्योगिक गृह निर्माण योजना।

(ii) सहाय्यिक औद्योगिक गृह निर्माण योजना।

(iii) अल्प आय वर्ग गृह निर्माण योजना।

(iv) ग्राम गृह निर्माण परियोजना संबंधी योजना।

(v) मध्य आय वर्ग गृह निर्माण योजना।

(vi) राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए किराये पर मकान की योजना।

(vii) आवास निर्माण योजनाओं से संबंधित भू–अर्जन कार्य।

(viii) निम्नलिखित विशेष गृह निर्माण योजनाएँ –

1. अनुसूचित जाति
2. अनुसूचित जनजाति
3. भूतपूर्व अपराधशील जनजाति
4. पिछड़े वर्ग।

(ix) कोई अन्य गृह निर्माण योजना जो समय–समय पर लागू की जाय।

टिप्पणी – भवन निर्माण एवं आवास विभाग आवश्यकतानुसार कल्याण विभाग से परामर्श कर लेगा।

(x) झारखंड राज्य आवास बोर्ड का नियंत्रण।

7. कल्याण, खाद्य आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग। (अल्पसंख्यक कल्याण सहित)

क. कल्याण विभाग

(i) अनुसूचित जनजाति कल्याण जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं :–

1. अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए छात्रावास खोलना और बनाना।
2. अनुसूचित जनजाति के छात्रों को वृत्तिकाएँ और पुस्तक अनुदान देना।
3. अनुसूचित जनजाति वाले जिलों में अनाज गोले खेलना।
4. प्रमुख अनुसूचित जनजातियों के सांस्कृतिक बोर्ड।
5. अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए काम करनेवाली शैक्षिक संस्थाओं को सहायता।
6. अनुसूचित क्षेत्रों में हाथ कटाई तथा खादी उत्पादन।
7. कुटिर उद्योगों के विकास के लिए अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को ऋण देना।
8. अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए विशेष योजनाएँ।
9. अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के लिए उपयोजना का सूत्रीकरण, छानबीन तथा सामंजन।
10. समेकित जनजाति विकास कार्यक्रम।

(ii) अनुसूचित जाति/कल्याण, जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं:--

1. अनुसूचित जाति के छात्रों को वृत्तिका प्रदान।
2. अनुसूचित जाति के छात्रों को पुस्तकों तथा उप साधनों के लिए अनुदान।
3. कुटीर उद्योग के विकास के लिए अनुसूचित जाति के सदस्यों को ऋण।
4. अनुसूचित जातियों के लिए छात्रावास खोलना और बनाना।
5. अनुसूचित जातियों को सिविल नियोग्यताएँ हटाना और बिहार हरिजन (सिविल नियोग्यता अपनयन) अधिनियम और बिहार हरिजन (रिमुवल ऑफ डिजविलीटीज ऐक्ट)(संख्या19, 1949) का प्रचालन।
6. अपराधशील जनजातियों का प्रशासन और पुनर्वासन।
7. नगरपालिकाओं में काम करनेवाली अनुसूचित जातियों की सहकारी समितियों का संघटन।
8. अनुसूचित जातियों के फायदे के लिए काम करनेवाली शैक्षणिक तथा सांस्कृतिक संस्थाओं को सहायक अनुदान।
9. नगरपालिकाओं और अधिसूचित क्षेत्र समितियों में नियोजित झाडूकशों के लिए आवास बनाने के लिए अनुदान।
10. अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिए विशेष योजनाएँ।

(iii) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से भिन्न पिछड़े वर्गों का कल्याण।

(iv) सार्वजनिक स्थानों में भिखमंगी का विनियमन।

(v) सम्प्रेषण और इम्मोरल ट्राफिक इन वीमेन एण्ड गर्लस एक्ट, 1956 का प्रचलन।

(vi) प्रखंडों में महिला तथा बच्चों का कार्यक्रम।

(vii) विशेष पोषाहार योजना।

(viii) समाज कल्याण बोर्ड का नियंत्रण।

(ix) दहेज प्रथा का उन्मूलन।

(x) बालक अधिनियम का प्रचलन।

(xi) कल्याण विभाग में नियोजित सभी पदाधिकारियों का नियंत्रण।

(xii) किशोर कल्याण बोर्ड (जुवेनाईल वेलफेयर बोर्ड) दत्तक ग्रहण (।कवचजपवद)

(xiii) कल्याण विभाग के दखल में स्थित सभी भवनों का प्रशासनिक प्रभार।

(xiv) सुधाररालय, बोस्टल संस्थाएँ और इसी तरह की अन्य संस्थाएँ तथा उनमें रखे गये व्यक्ति, इन संस्थाओं के उपयोग के लिए अन्य राज्यों के साथ व्यवस्था।

ख. खाद्य, आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग

(i) खाद्य वस्तुएँ

(ii) वस्त्र।

(iii) अनय प्रकीर्ण आपूर्तियाँ।

(iv) परमावश्यक आपूर्ति (अस्थायी शक्ति) अधिनियम (एसेंशियल सप्लाइज (टेम्परारी पावर्स) ऐक्ट), 1946 (24, 1946) तथा बिहार परमावश्यक वस्तु नियंत्रण (अस्थायी शक्ति) अधिनियम (बिहार अशोशियल आर्टिकल्स कंट्रोल (टेम्परारी पावर्स) ऐक्ट) 1947 (बिहार अधिनियम 4, 1947) का संचालन।

(v) राशन व्यवस्था (टायर राशनिंग रहित)

(vi) मूल्य नियंत्रण, उपाप्ति और वितरण।

(vii) रेलवे परिवहन और अग्रताएँ।

(viii) सीमा शुल्क।

(ix) एकत्व (पेटेंट) आविष्कार और डिजाइन।

(x) व्यापार–चिन्ह (ट्रेड मार्क) तथा अन्य चिन्ह।

(xi) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम (सेन्ट्रल एक्साइज ऐंड साल्ट ऐक्ट), 1944 (सं. 1, 1944) का प्रचलन।

(xii) राज्य के भीतर व्यापार तथा वाणिज्य।

(xiii) सामग्री।

(xiv) धनकुट्टी उद्योग (विनिमय) अधिनियम (राइस मिलिंग एण्डस्ट्री (रेगुलेशन) ऐक्ट), 1958 (सं. 21, 1958) का प्रचलन।

(xv) पेट्रोलियम (पेट्रोल और पेट्रोल–उत्पाद, घरेलू प्रयोजनों के लिए व्यवहृत किरासन तेल राशनिंग)

(xvi) पेट्रोलियम अधिनियम तथा नियमावली का प्रचालन।

(xvii) झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम का नियंत्रण।

(xviii) भारतीय खाद्य निगम के साथ सम्पर्क।

(xix) खाद्य, आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग में नियोजित सभी पदाधिकारियों का नियंत्रण।

(xx) खाद्य, आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग के दखल में स्थित सभी भवनों का प्रशासनिक प्रभार।

(xxi) मोनोपोलिज एण्ड रिस्ट्रीक्टिव ट्रेड प्रैक्टीसेज ऐक्ट, 1969 के अन्तर्गत गठित मोनोपोलिज एण्ड रिस्स्ट्रीक्टिव आयोग के साथ सम्पर्क।

ग. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

(i) अल्प संख्यक समुदायों का कल्याण।

(ii) हज।

(iii) वक्फ।

(iv) जाति प्रथा का उन्मूलन।

(v) अल्प संख्यक से संबंधित निम्नांकित निकाय/निगम पर प्रशासनिक नियंत्रण :–

1. बिहार राज्य धार्मिक, भाषायी एवं अल्प संख्यक आयोग।
2. 15 सूत्री कार्यक्रम समिति।
3. बिहार राज्य अल्प संख्यक वित्तीय निगम।
4. उर्दू अकादमी।
5. बंगला अकादमी।

8. मानव संसाधन विकास विभाग

(उच्च शिक्षा, सेकेन्ड्री, प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा, कला, संस्कृति एवं युवा कार्य विभाग सहित)

क. उच्च शिक्षा विभाग

(i) विश्वविद्यालय के स्तर की शिक्षा।

(ii) विश्वविद्यालय तथा इससे संबंधित पुस्तकालय तथा विज्ञान संस्थाएँ।

(iii) विश्वविद्यालय से संबंधित शैक्षणिक परियोजनाओं के लिए न्यास एवं पूर्ति अग्रस्व।

(iv) विश्वविद्यालय वाणिज्य–पोत के लिए शिक्षा एवं प्रशिक्षण का उपबंध तथा राज्य के अन्य एजेंसियों द्वारा उपबंधित ऐसी शिक्षा प्रशिक्षण का विनियमन।

(v) विश्वविद्यालय से संबंधित विशेष अध्ययन एवं शोध का अभिवृद्धि।

(vi) उच्चतर शिक्षा संस्थाओं, शोध संस्थाओं तथा विज्ञान संस्थाओं में स्तरों का समन्वय और अवधारण।

(vii) अंतर विश्वविद्यालय बोर्ड (इन्टर यूनिवर्सिटी बोर्ड)

(viii) विश्वविद्यालय सेवा आयोग (यूनिवर्सिटी सर्विस कमिशन)

(ix) महाविद्यालय सेवा आयोग (कॉलेज सर्विस कमिशन)

(x) विश्वविद्यालयों एवं उच्च शिक्षण संस्थाओं में शैक्षणिक एवं गैर–शैक्षणिक पदाधिकारी/कर्मचारी के संबंध में नीति निर्धारण एवं अन्य सभी प्रशासनिक मामले आदि।

(xi) बजट एवं योजना।

(xii) उच्च शिक्षा विभाग और उसके अधीनस्थ अन्य संस्थाओं के सेवा करने वाले सभी पदाधिकारियों का नियंत्रण।

(xiii) विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा विभाग के दखल एवं अधिकार में स्थित सभी भवनों का प्रशासनिक प्रभार।

(xiv) विभाग से संबंधित शैक्षणिक अधिनियमों का प्रभार।

(xv) भारत सरकार द्वारा पूर्णतः या अंशतः वित्त पोषित एवं संसद द्वारा विधितः

राष्ट्रीय महत्व का संस्था के रूप में घोषित शैक्षिक या वैज्ञानिक संस्था।

ख. सेकन्ड्री, प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा विभाग

(i) विद्यालय स्तर की शिक्षा (इंटरमीडियट काउन्सिल द्वारा संचालित कक्षा–11 एवं 12 तथा सी.बी.एस.ई. एवं आई.सी.एस.ई. Central Board of Secondary Education and Indian Council of Secondary Education सहित।

(ii) इंटरमीडियट काउन्सिल।

(iii) प्रशिक्षण महाविद्यालय (ट्रेनिंग कॉलेज)

(iv) वयस्क एवं अनौपचारिक (ननफरमल) शिक्षा।

(v) विभागीय बजट एवं योजना।

(vi) पुस्तकालय एवं विज्ञान संस्थाएँ (सरकारी/कार्यालय–पुस्तकालय रहित)

(vii) विभाग के अंतर्गत शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदाधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति, सेवा शर्तें इत्यादि पर निर्धारण।

(viii) राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम का नियंत्रण।

(ix) विद्यालय में मध्याह्न भोजन।

(x) सेकेन्ड्री, प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा और उसके अधीनस्थ अन्य संस्थाओं में सेवा करनेवाले सभी पदाधिकारियों का नियंत्रण।

(xi) आदिवासी जातियों, पिछड़े मुसलमानों एवं अनुसूचित जातियों के छात्रावास भवनों को छोड़कर सेकेन्ड्री, प्राथमिक वयस्क एवं अनौपचारिक शिक्षा से संबंधित सरकारी भवनों का प्रशासनिक प्रभार।

(xii) विज्ञान से संबंधित शैक्षणिक अधिनियमों का प्रभार।

ग. कला, संस्कृति एवं युवा कार्य विभाग

(i) भारत सरकार द्वारा पूर्णतः या अंशतः वित्त पोषित एवं संसद द्वारा विहित राष्ट्रीय महत्व की संस्था के रूप में घोषित शैक्षिक वैज्ञानिक संस्था जो उच्च शिक्षा विभाग के प्रभार में न हो।

(ii) खेलकूद (कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन)

(iii) युवा कल्याण।

(iv) कला एवं संस्कृति।

(v) प्राचीन ऐतिहासिक स्मारक और अभिलेख तथा पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष जिन्हें संसद में विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया हो तथा अन्य पुरातात्विक स्थल और अवशेष।

(vi) संग्रहालय एवं ऐसी अन्य संस्थाएँ।

(vii) सभी एकादमी एवं ऐसी अन्य संस्थाएँ।

(viii) राष्ट्रीय कैडेट कोर और सहायक कैडेट कोर।

(ix) विभागीय बजट एवं योजना।

(x) कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के अंतर्गत पदाधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति, सेवा शर्त आदि का निर्धारण एवं प्रशासनिक नियंत्रण।

(xi) विभाग से संबंधित सरकारी भवनों का प्रशासनिक प्रभार।

(xii) विभाग से संबंधित सरकारी भवनों का प्रशासनिक प्रभार

(xiii) विभाग से संबंधित अधिनियमों का प्रशासनिक प्रभार।

9. विज्ञान, प्रावैधिकी, सूचना तकनीकी उद्योग विभाग।

क. विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

विज्ञान शाखा :

(i) राज्य की आवश्यकताओं पर आधारित विज्ञान एवं शिल्प--विज्ञान (प्रौद्योगिकी) के नये क्षेत्रों का विकास और उसके लिए नीति निरूपण।

(ii) विभिन्न संस्थानों एवं विभागों से संबंधित विज्ञान और शिल्प–विज्ञान (प्रौद्योगिकी) के क्षेत्रों के समन्वयन।

(iii) वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी सर्वेक्षण, शोध, रूपांकण एवं विकास कार्यों को हाथ में लेना अथवा इनके लिए अन्य संस्थानों, व्यक्तियों आदि को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना।

(iv) राज्य के शोध संस्थाओं एवं वैज्ञानिक समाज, निकाय आदि को विज्ञान एवं शिल्प–विज्ञान पर आधारित कार्य के लिए अनुदान देना।

(v) विश्वविद्यालय एवं अन्यान्य संस्थाओं में प्रायोगिक शोध कार्य का सम्पोषण एवं समन्वय।

(vi) राज्य की ज्ञात आवश्यकताओं पर समाश्रित, वैज्ञानिक तथा प्रावैधिकी योजनाएँ तैयार करना यथा –

1. भू–सर्वेक्षण, बाढ़ पूर्वानुमान तथा भू–गर्भीय अन्वेषण के लिए उपग्रह प्रावैधिकी का उपयोग,
2. हवाई फोटोग्राफी तथा भूमि, जल, खनिज एवं वन साधनों के विकास हेतु इसका विश्लेषण,
3. सरकारी कामकाज में कम्प्यूटर का व्यावहारिक प्रयोग,
4. इसी तरह की नवीन वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिक प्रयोग संबंधी योजनाएँ।

(vii) वैज्ञानिक शिक्षा का उपबंध सभी राज्यों और अन्य एजेंसियों द्वारा बंधित ऐसी शिक्षा का विनियमन।

तकनीकी शिक्षा शाखा :

(i) तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण।

(ii) तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन गठित बोर्डों से संबंधित कार्य तथा स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एडुकेशन।

(iii) तकनीकी शिक्षा विभाग में नियोजित सभी पदाधिकारियों पर नियंत्रण।

(iv) तकनीकी शिक्षा विभाग के दखल में स्थित सभी भवनों का प्रशासनिक प्रभार।

क. उद्योग विभाग

(i) औद्योगिक नीति का निर्धारण।

(ii) उद्योग।

(iii) उद्योग से संबंधित शोध एवं समन्वय कार्य।

(iv) सभी प्रकार के औद्योगिक तथा व्यावसायिक संस्थान के साथ सम्पर्क।

(v) औद्योगिक प्रांगण, औद्योगिक क्षेत्र तथा जिला उद्योग केन्द्र।

(vi) औद्योगिक विकास प्राधिकार।

(vii) कच्चा सामान की व्यवस्था, आपूर्ति एवं वितरण।

(viii) लोहा और इस्पात।

(ix) तकनीकी विकास निदेशालय।

(x) झारखंड राज्य औद्योगिक विकास निगम।

(xi) झारखंड राज्य वित्तीय निगम।

(xii) झारखंड राज्य रासायनिक एवं भषजीय (फर्मास्यूटिकल्स) निगम।

(xiii) झारखंड राज्य इलोक्ट्रोनिक्स निगम।

(xiv) झारखंड राज्य साख एवं निवेश निगम।

(xv) झारखंड औद्योगिक एवं तकनीकी परामर्शदाता संगठन लि.

(xvi) उपेन्द्र महारथी औद्योगिक शिल्प संस्थान।

(xvii) झारखंड राज्य लघु उद्योग निगम।

(xviii) झारखंड राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड।

(xix) झारखंड हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय।

(xx) झारखंड राज्य हस्तकरघा, विद्युत करघा तथा हस्तशिल्प निगम।

(xxi) झारखंड राज्य निर्यात निगम।

(xxii) झारखंड राज्य वस्त्र निगम।

(xxiii) झारखंड राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम।

(xxiv) झारखंड राज्य चर्म उद्योग विकास निगम।

(xxv) झारखंड राज्य फिनिश्ड लेदर लिमिटेड।

(xxvi) राज्य के बाहर औद्योगिक सम्पर्क कार्यालय।

(xxvii) उद्योग विभाग के भवनों तथा सम्पत्तियों का प्रशासनिक प्रभार।

(xxviii) उद्योग विभाग में नियोजित सभी पदाधिकारियों का नियंत्रण।

10. खान एवं भूतत्व विभाग।

(i) भूतत्व संबंधी सर्वेक्षण, जिसमें वेधन कार्य (ड्रिलिंग) शामिल है।

(ii) पूर्वेक्षण (प्रोस्पेक्टिंग) लाइसेंसों और खनिज पट्टों की मंजूरी तथा उनका नवीकरण।

(iii) सरकारी क्षेत्र के माध्यम से खनिज विकास।

(iv) खानों का विनियमन और खनिज समनदान नियमावली (मिनरल कन्सेशन रूल्स का प्रचलन)।

(v) झारखंड अभ्रक अधिनियम (झारखंड माईका एक्ट) का प्रचालन।

(vi) वन क्षेत्रों सहित समूचे राज्य के लघु खनिजों का प्रबंधन।

(vii) खनिज तेल, परमाणु–खनिज आदि के विकास से संबंधित केन्द्रीय सरकारी क्षेत्रगत उपक्रमों से सम्पर्क।

टिप्पणी -- 1. भू–अर्जन राजस्व विभाग का विषय है और यह निर्णय किया गया है कि खान और भूतत्व के नियंत्रण के बावजूद राजस्व विभाग भू–अर्जन शाखा, खनन् के निमित्त खनिज भूमि के अर्जन से संबंधित विषयों पर खान और भूतत्व विभाग से परामर्श करेगा।

2. वन क्षेत्रों में खनन् के लिए पट्टा और लाईसेंस देने के पहले वन विभाग से परामर्श कर लिया जाय।

(viii) झारखंड राज्य खनिज विकास निगम का नियंत्रण।

(ix) खान एवं भूतत्व विभाग में नियोजित सभी पदाधिकारियों का नियंत्रणं

(x) खान एवं भूतत्व विभाग के दखल में स्थित सभी भवनों का प्रशासनिक प्रभार।

11. वन एवं पर्यावरण विभाग।

(i) वन।

(ii) जंगली पक्षियों और जंगली जानवरों का परिरक्षण।

(iii) वन विकास निगम का नियंत्रण।

(iv) जैविक तथा वनसम्पति उद्यान।

(v) पर्यावरण, संरक्षण एवं सुरक्षा।

(vi) पर्यावरण, अनुसंधान एवं शिक्षा।

(vii) शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में परिवेशात्मक आयोजन तथा समन्वय (शहरी क्षेत्रों से संबंधित यह विषय नगर विकास एवं आवास विभाग से स्तान्तरित किया जाता है।)

(viii) मानवीय आवासन से संबंधित नीति एवं योजना।

(ix) इस विभाग में नियोजित सभी पदाधिकारियों का नियंत्रण।

(x) इसके दखल में स्थित सभी भवनों का प्रशासनिक प्रभार।

टिप्पणी – निम्नलिखित बिन्दुओं के संबंध में सभी संबंधित विभागों से सम्यक रूप से समन्वय इस विभाग के आयुक्त एवं सचिव का विशेष उत्तरदायित्व होगा।

1. भूमि और जल साधन
2. मानवीय आवासनों का गुणात्मक सुधार।
3. पर्यावरण संबंधी अनुसंधान, तकनीकि, नवीकरण और उनके प्रयोग इस उद्देश्य से कि शहरी क्षेत्रों के साथ–साथ ग्रामीण क्षेत्रों का पर्यावरण आवास के लिए अधिक आकर्षक बनायी जा सके।
4. झारखंड राज्य जल--प्रदूषण (नियंत्रण एवं निवारण) पर्षद का नियंत्रण।

12. कृषि, सहकारिता पशु एवं मत्स्य पालन विभाग।

क. कृषि विभाग

(i) कृषि, जिसमें कृषि शिक्षा, विस्तार और शोध भी शामिल है, मारक कीटों से रक्षा और पौधा रोगों का निवारण।

(ii) कोयला, सीमेंट, लोहा, इस्पात के कृषि कोटे का वितरण।

(iii) तौल (बाट) और माप।

(iv) कृषि वस्तुओं का क्रय विक्रय (शोध और बाजार आसूचना सहित) एवं भंडागार।

(v) कृषि उद्योग विकास निगम, बीज निगम एवं कृषि विपणन पर्षद पर प्रशासकीय नियंत्रण।

(vi) बिरसा कृषि विश्वविद्यालय।

(vii) कमान्ड क्षेत्र विकास प्राधिकार, लघु कृषक विकास एजेन्सी, सीमान्त

कृषक एवं कृषक मजदूर विकास एजेन्सी, सुखारोंन्मुख क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम एवं जनजाति विकास एजेंसी।

(viii) भूमि संरक्षण तथा भूमि विकास।

(ix) कृषि एवं भूमि संरक्षण विभाग में नियोजित सभी पदाधिकारियों का नियंत्रण।

(x) कृषि एवं भूमि संरक्षण विभाग के दखल में स्थित सभी भवनों का प्रशासनिक प्रभार।

ख. सहकारिता विभाग

(i) सहकारी बैंक (को–ऑपरेटिव बैंक सहित), सहकारी समितियाँ, सहकारी क्रय–विक्रय संघ का नियंत्रण।

(ii) गोदाम निगम, भूमि विकास बैंक एवं सहकारिता सहकारिता क्रय–विक्रय संघ का नियंत्रण।

(iii) सहकारिता विभाग में नियोजित सभी पदाधिकारियों का नियंत्रण।

(iv) सहकारिता विभाग के दखल में स्थित सभी भवनों का प्रशासनिक प्रभार।

ग. पशु एवं मत्स्य पालन विभाग

(i) पशुपालन जिसमें पशुधन का परिरक्षण, रक्षण और सुधार तथा पशु रोगों का निवारण, पशु चिकित्सा प्रशिक्षण और व्यवसाय (पैक्टिस) भी शामिल है।

(ii) पशु निर्दयता निवारण समितियाँ

(iii) मत्स्यपालन।

(iv) मांस, अंडा, मत्स्य इत्यादि का विपणन।

(v) गव्य विकास एवं गव्य निगम का नियंत्रण।

(vi) पशुपालन एवं मत्स्यपालन विभाग में नियोजित सभी पदाधिकारियों का नियंत्रण।

(vii) पशुपालन एवं मत्स्यपालन विभाग में दखल में स्थित सभी भवनों का प्रशासनिक प्रभार।

13. जल संसाधन एवं उर्जा विभाग।

क. जल संसाधन विभाग

(i) सभी प्रकार की सिंचाई व्यवस्था का संचालन एवं निर्धारण (निजी/प्राइवेट) एवं लघु सिंचाई सहित)

(ii) राजस्व निर्धारण, वसूली एवं लेखा।

(iii) अनुसंधान, अनवेषण, रूपांकण योजना एवं निर्माण।

(iv) जल एवं भूमि प्रबन्धन संस्थान, खगौल।

(v) नहर तथा उद्‌वह सिंचाई।

(vi) जल संचय।

(vii) निर्माण खर्चे की वसूली तथा निम्नलिखित परियोजनाओं से सम्बद्ध निर्माणों का प्रबन्धन, संरचना, अनुरक्षण और प्रशासनिक प्रभार

1. कोशी परियोजना, बाढ़ नियंत्रण
2. गंडक परियोजना, त्रिवेणी नहरों सहित
3. सोन बराज परियोजना
4. तेनुघाट बांध परियोजना
5. अन्य वृहत् नदी घाटी परियोजना जो इस विभाग को समय–समय पर सौंपी जाय।

(viii) परियोजनाओं हेतु भू–अर्जन एवं उसके कारण विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्स्थापन।

(ix) बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकासी से संबंधित सभी कार्य।

(x) अन्तर्देशीय जल मार्ग (राष्ट्रीय जल मार्ग सहित) उनका अनुरक्षण और स्वच्छता संरक्षण।

(xi) झारखंड निर्माण निगम।

(xii) झारखंड पहाड़ी क्षेत्र उद्‌वह सिंचाई निगम एवं झारखंड राज्य जल विकास निगम का नियंत्रण।

(xiii) सामान्य समन्वय।

(xiv) जल संसाधन विभाग में नियोजित सभी पदाधिकारियों का नियंत्रण।

(xv) विभागीय भवनों का निर्माण, अनुरक्षण एवं प्रशासनिक प्रभार।

ख. ऊर्जा विभाग

(i) विद्युत शक्ति का उत्पादन, संचार तथा आपूर्ति।

(ii) वैद्युतिक संयंत्रों का नियंत्रण।

(iii) झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड का नियंत्रण।

(iv) ऊर्जा विभाग में नियोजित सभी पदाधिकारियों का नियंत्रण।

(v) ऊर्जा विभाग के दखल में स्थित सभी भवनों का प्रशासनिक प्रभार।

(vi) ऊर्जा के सभी वैकल्पिक और नए (अपरम्परागत) स्रोतों का विकास, उनका व्यावहारिक उपयोग तथा उनपर आधारित योजनाएँ।

14. लोक निर्माण विभाग (पथ निर्माण, भवन निर्माण एवं परिवहन)

क. पथ निर्माण विभाग

(i) राज्य में निहित या उसके कब्जे में स्थित निर्माण, भूमि और पथ।

(ii) निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत लोक कार्य :

1. सड़क, पुल, घाट, सुरंगें, रज्जूमार्ग, स्टेप (कॉजवे) और अन्य संचार साधन।
2. राष्ट्रपथ।
3. शहरी एवं ग्रामीण पथ।

(iii) ग्रामीण अभियंत्रण संगठन।

(iv) बिहार राज्य पुल निगम का नियंत्रण।

(v) पथ निर्माण विभाग में नियोजित सभी पदाधिकारियों का नियंत्रण।

ख. भवन निर्माण विभाग

(i) राज्य में निहित या उसके कब्जे में स्थित निर्माण, भूमि और भवन।

(ii) प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक (जो संघ के न हों) राज्य सरकार द्वारा स्वाधिकृत स्मारक संरचनाएँ भी।

(iii) राँची स्थित राजधानी क्षेत्र में तथा अन्यत्र खाली स्थलों का निबटाव जो सरकारी सम्पत्ति हो।

टिप्पणी – इस मद में निबटाव शब्द से तात्पर्य है भवन निर्माण विभाग के प्रशासनिक प्रभार के अधीन नीचे की मद 6 में उल्लिखित निर्माणों के प्रयोजनार्थ जमीन का आवंटन।

(iv) निम्नलिखित भवनों का प्रशासनिक प्रभार –

1. राँची स्थित राजभवन
2. राँची स्थित राजधानी क्षेत्र के निवास
3. राँची स्थित ऐसे निवास जो मंत्रियों, सचिवालय के राजपत्रित पदाधिकारियों तथा मुख्य वन संरक्षक सहित अन्य विभागाध्यक्षों और उनके कार्यालयों से सम्बद्ध राजपत्रित पदाधिकारियों एवं अनुसचिवीय कर्मचारियों के निवास के लिए हो। साथ ही राँची स्थित ऐसे ही अन्य–अन्य सारे निवास भी जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के सम्वर्ग पदों को मौलिक या स्थानापन्न रूप से धारण करने वाले पदाधिकारियों के वास के लिए हो।

टिप्पणी – "अनुसचिवीय कर्मचारियों के वास" से अभिप्रेत है राँची स्थित लिपिक क्वार्टर्स।

4. मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय से संलग्न भवन।
5. राँची स्थित सचिवालय भवन।
6. राँची स्थित विधान–सभा भवनों तथा झारखंड लोक सेवा आयोग के भवनों का प्रशासनिक प्रभार।

(v) उपर्युक्त मद संख्या (iv)(2) एवं (3) में उल्लिखित भवनों का आवंटन।

(vi) जिन राजकीय भवनों की संरचना और अनुरक्षण का काम राज्यपाल ने उस भवनों का उपयोग या उपेक्षा करने वाले विभागों को सौंप दिया हो, उन भवनों को छोड़कर राजकीय भवनों की संरचना और अनुरक्षण संबंधी लोक कार्य।

(vii) सरकारी भवनों में बिजली लगाना।

(viii) सरकारी भवनों में स्वच्छता कार्य एवं पेय जल आपूर्ति की व्यवस्था।

(ix) हवाई अड्डों का उपबन्ध, अनुरक्षण और संगठन।

(x) भवन निर्माण एवं आवास विभाग में नियोजित सभी पदाधिकारियों का नियत्रण।

(xi) भवन निर्माण एवं आवास विभाग के दखल में स्थित सभी भवनों का प्रशासनिक नियंत्रण।

ग. परिवहन विभाग

(i) मोटर परिवहन नियंत्रण।

(ii) मोटर गाड़ी करारोपण।

(iii) यंत्र चालित जल यानों के संबंध में संसद द्वारा विधितः राष्ट्रीय जल मार्ग के रूप में घोषित अन्तर्देशीय जल मार्गों से जहाजरानी और नौ–परिवहन।

टिप्पणी – इसमें अन्तर्देशीय जल परिवहन, अन्तर्देशीय वाष्प जलयान अधिनियम का प्राक्कलन और नदी स्वच्छता संरक्षण भी शामिल है।

(iv) अन्तर्देशीय जल मार्गों से जहाजरानी और नौ--परिवहन।

(v) रेलवे एवं लघु रेलवे।

(vi) घाट (फेरिज)

(vii) टायर पर राशन व्यवस्था।

(viii) झारखंड राज्य पथ परिवहन निगम का नियंत्रण।

(ix) परिवहन विभाग में नियोजित सभी पदाधिकारियों का नियंत्रण।

(x) परिवहन विभाग के दखल में स्थित सभी भवनों का प्रशासनिक प्रभार।

15. राजस्व, भूमि सुधार, निबंधन, उत्पाद, मद्य निषेध, सहाय्य एवं पुनर्वास विभाग।

क. राजस्व भूमि सुधार विभाग

(i) भारत सर्वेक्षण (सर्वे ऑफ इन्डिया) वनस्पति तथा प्राणी सर्वेक्षण।

(ii) संघ विषयों से सम्बद्ध गजेटियर और सांख्यिकी वृत्त।

(iii) चर्च सम्बन्धी कार्य, जिनमें यूरोपीय कब्रिस्तान भी शामिल है।

(iv) जनगणना।

(v) राज्य विषयों से सम्बद्ध गजेटियर और सांख्यिकी।

(vi) निम्न शीर्षक के अधीन यथावर्णित भू–राजस्व प्रशासन

1. भू–राजस्व का निर्धारण और तहसील,
2. भू–अभिलेखों का अनुरक्षण, राजस्व प्रयोजनों के लिए सर्वेक्षण, अधिकार अभिलेखों (खतियान)
3. भू–धृति विषयक विधियाँ, भू–स्वामी (जमींदार) और काश्तकार के बीच संबंध, लगान की तहसील
4. प्रतिपालक अधिकरण (कोर्ट ऑफ वार्डस), अवभारग्रस्त तथा कुर्क सम्पदाएं (इस्टेट),
5. उपनिवेशन और भू–राजस्व का पक्कीकरण,
6. राज्य प्रयोजनों के लिए भारत सरकार में निहित या भारत सरकार के कब्जे में स्थित भूमि निबटाव,
7. कृषि–भूमि का अंतरण, पक्कीकरण तथा उपागम, और
8. सरकारी सम्पदाओं (इस्टेटों) का प्रबंध।

टिप्पणी :– इसमें राजस्व पदाधिकारियों का क्षेत्राधिकार सम्पदाओं, इस्टेटों का विभाजन, सेस (जिसमें तटबंध सेस भी शामिल हैं) की तहसील और निर्धारण–भू– निबंधन बिहार–उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम (बिहार एण्ड उड़ीसा पब्लिक डिमान्ड्स रिकवरी ऐक्ट), 1914 (बिहार उड़ीसा अधिनियम 4, 1914) का प्रचालन और संथाल परगना विनियमावली के अधीन आयुक्त द्वारा दिये आदेश के विरुद्ध अर्जियां भी शामिल हैं।

(vii) अनिवार्य भू–अर्जन, (खान) अधिनियम (लैंड एक्वीजीशन) (माइन्स ऐक्ट), 1985 (18,1985)

(viii) निखात निधि।

(ix) भाषाएं और भाषा सर्वेक्षण।

(x) मानववंश–विज्ञान (एथ्नोलाजी) और मानववंश वृत्त (एथ्लोग्राफी)।

(xi) दफन ओर कब्रिस्तान, दाह–संस्कार और श्मशान।

(xii) राजस्व बोर्ड, प्रमंडल आयुक्तो और जिला पदाधिकारियों तथा अनुमंडल पदाधिकारियों के लिपिक वर्ग और भृत्य वर्ग का नियंत्रण।

(xiii) भारतीय सिविल सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, झारखंड सिविल सेवा के पदाधिकारियों का नियंत्रण जहाँ तक कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को सौंपा गया है, वहाँ तक छोड़कर भू–अभिलेख और सर्वेक्षण निर्देशक के

अधीन नियोजित सभी पदाधिकारियों का नियंत्रण।

(xiv) रांची स्थित भवनों को छोड़कर, राजस्व बोर्ड, प्रमंडलीय आयुक्तों और जिला पदाधिकारियों तथा अनुमंडल पदाधिकारियों के दखल में स्थित निवास, भिन्न भवनों और सरकारी डाक बंगलों का प्रशासनिक प्रभार।

(xv) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के अधीन मद में उल्लिखित को छोड़कर राजस्व पदाधिकारियों के रांची स्थित निवासों से भिन्न निवासों का प्रशासनिक प्रभार।

(xvi) भारत सरकार, अन्य राज्य सरकारों तथा जनता को इन्डियल लॉ रिपोर्ट्स सिरीज से भिन्न सराकरी प्रकाशनों की आपूर्ति का विनियमन।

(xvii) परिसदनों (सर्किट हाउसों) का प्रशासनिक प्रभार।

(xviii) राजस्व बोर्ड, प्रमंडलीय आयुक्तों, जिला पदाधिकारियों और अनुमंडल पदाधिकारियों के कार्यालयों में विभागीय उपयोग के पुस्तकालय।

(xix) ग्रामीण क्षेत्रों में लावारिश मवेशियों की हड्डी का संचयन और उसकी बन्दोबस्ती।

(xx) भूमि सुधार।

(xxi) लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम का प्रशासन।

(xxii) सर्टिफिकेट।

(xxiii) बाजार और मेले।

(xxiv) स्वर्ण नियंत्रण आदेश का प्रशासन।

(xxv) साहूकार और साहूकारी।

ख – निबंधन विभाग –

(i) सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1860 एवं इण्डियन पार्टनरशिप ऐक्ट, 1932 का प्रशासन।

(ii) विलेखों और लेख्यों (दस्तावेजों) का निबंधन।

(iii) जन्म, मृत्यु और विवाह निबंधन अधिनियम (बर्थ्स, डेथ्स ऐण्ड मैरेज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट), 1886 (सं. 6 1886), बंगाल मुसलमान विवाह ओर तलाक निबंधन अधिनियम (बंगाल मुहम्मडन मैरेज ऐण्ड डाईवोर्स रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1876) बंगाल अधिनियम, 1, 1876), काजी अधिनियम (काजीज ऐक्ट), 1880 (सं. 12, 1880), पारसी विवाह और तलाक अधिनियम (पारसी मैरेज ऐण्ड

डाईवोर्स ऐक्ट), 1936 (सं. 3,1936), भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम (इंडियन क्रिश्चियन मैरेज ऐक्ट, 1872), (सं. 15,1872) एवं विशेष विवाह अधिनियम का प्रचलन।

(iv) स्टाम्प एवं स्टाम्प ड्यूटी से संबंधित कार्य।

(v) निबंधन विभाग में नियोजित सभी पदाधिकारियों पर नियंत्रण।

(vi) निबंधन विभाग के दखल में स्थित सभी भवनों पर प्रशासनिक प्रभार।

ग – उत्पाद, मद्य निषेध विभाग –

(i) मदिरा और स्वापक औषधियां, अर्थात् मदिरा अफीम तथा अन्य स्वापक औषधियों का उत्पादन, विनिर्माण, पास रखना, पहरवहन, क्रय और विक्रय।

(ii) राज्य में विनिर्मित या उत्पादित निम्नलिखित वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क और भारत में अन्यत्र विनिर्मित या उत्पादित ऐसी ही वस्तुओं पर उन्हीं या कम दरों पर प्रतिशुल्क :–

1. मानक उपयोग के लिए अल्कोहल मद्य।

2. अफीम, भारतीय मांग और अन्य स्वापक औषधियां तथा स्वापक, अस्वापक औषधियां।

3, अलकोहल या इस प्रतिष्टि को उप–कंडिका (2) में उल्लिखित किसी अन्य पदार्थ से युक्त औषधि एवं प्रसाधन सामग्री।

(iii) छोआ नियंत्रण।

(iv) शक्ति अल्कोहल।

(v) मद्य निषेध।

(vi) उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग में नियोजित सभी पदाधिकारियों को नियंत्रण।

(vii) द पायसन ऐक्ट, 1919 का प्रचालन।

(viii) उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के दखल में स्थित सभी भवनों का प्रशासनिक प्रभार।

घ – सहाय्य एवं पुनर्वास विभाग –

(i) मौसम विज्ञान।

(ii) फसल तथा वर्षापात आंकड़े।

(iii) फसल रिपोर्ट एवं पुर्वानुमान।

(iv) भूमि सुधार ऋण तथा कृषि (ताकवी)।

(v) अकाल सहाय्य।

(vi) बाढ़ तथा कटाव सहाय्य।

(vii) संकट ऋण।

(viii) भारत सरकार द्वारा परिचालित पुनर्वास कार्य।

(ix) कटाव, दंगा, प्राकृतिक अथवा अन्य प्रकोप एवं अन्यान्य कारणों से उत्पन्न पुनर्वास की व्यवस्था।

(x) शारीरिक श्रम योजना।

(xi) सहाय्य एवं पुनर्वास विभाग में नियोजित सभी पदाधिकारियों का नियंत्रण।

(xii) सहाय्य एंव पुनर्वास विभाग के दखल में स्थित सभी भवनों का प्रशासनिक प्रभार।

16. श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग :–

(i) डाक और तार, टेलीफोन और बेतार (राज्य पुलिस बेतार को छोड़कर)

(ii) डाक घर बचत बैंक।

(iii) खान और कोयला–क्षेत्र मे श्रम और सुरक्षा का विनियमन।

(iv) संघ में उत्प्रवासन (एमिग्रेशन) और संघ में आप्रवासन (इमिग्रशन) तथा अन्तर्राज्य प्रवासन (माईग्रेशन)

(v) श्रम–मजदूरी।

(vi) औद्योगिक सांख्यिकी अधिनियम (इण्डस्ट्रियल स्टैटिस्टिक्स एक्ट) के अधीन औद्योगिक सांख्यिकी (आंकड़े)।

(vii) वृद्धावस्था पेंशन योजना।

(viii) धुआँ–अवदूषण (न्यूसेन्स)।

(ix) श्रमिक संघ।

(x) हड़ताल तथा औद्योगिक और श्रमिक विवाद।

(xi) श्रम कल्याण, जिसमें काम की शर्ते, भविष्य निधि, नियोजक का दायित्व, कामगार, क्षति पूर्ति, असमर्थता, पेंशन तथा प्रसूति–सुविधा भी शामिल है।

(xii) वाष्पित्र (व्वायलर)।

(xiii) कर्मचारी राज्य बीमा।

(xiv) आपात शक्ति निदेशालय।

(xv) शिल्पी और तकनिशियन प्रशिक्षण तथा श्रमिकों का व्यवसायिक प्रशिक्षण।

(xvi) नियोजित विकलांगों का कल्याण।

(xvii) सचिवालय उपहार गृह।

(xviii) श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग में नियोजित सभी पदाधिकारियों का नियंत्रण।

(xix) श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के दखल सभी भवनों का नियंत्रण।

17. विधि विभाग – न्याय शाखा :–

(i) दंड–विधि (फौजदारी कानून) और दंड–प्रक्रिया।

(ii) सिविल प्रक्रिया, जिसमें परिसीमा अधिनियम (लॉ ऑफ लिमिटेशन) भी शामिल है।

(iii) साक्ष्य और शपथ, विधि, लोक अधिनियमों, अभिलेखों तथा न्यायिक कार्यवाहियों को मान्यता।

(iv) विवाह और तलाक, बच्चे और नाबालिक, दत्तक–ग्रहण।

(v) वसीयत, निर्बसीयता और उत्तराधिकार–कृषि भूमि–विषयक को छोड़कर।

(vi) कृषि–भूमि से भिन्न सम्पत्ति का अन्तरण।

(vii) धार्मिक और पूर्त्त धर्मस्वों से तथा शिक्षा–निमितक न्यासों से भिन्न, न्यास और न्यासी।

(viii) संविदाएं, एजेन्सी, वहन–संविदा तथा अन्य विशेष प्रकार की संविदाएं किन्तु इनमें कृषि–भूमि संबंधी संविदाएं शामिल नहीं हैं।

(ix) मध्यस्थता।

(x) दिवालियापन और शोधनक्षमता, महाप्रशासक और सरकारी न्यासी।

(xi) न्यायाकरण, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को छोड़कर, राज्य के भीतर सभी न्यायालयों का गठन, संघटन, श्रेत्राधिकार और शक्तियां, राज्य के उक्त न्यायालयों में ली जानेवाली फीसें। "लगान और राजस्व न्यायालयों" की प्रक्रिया, उच्चतम न्यायालय को छोड़कर, सभी न्यायालयों में ली जाने वाली फीसें। इस विषय के अन्तर्गत निम्न बातें भी हैं :–

1. अधिनियम – उनका प्रचालन और विस्तार – न्याय प्रयोजनों के लिए।

2. निम्नतर न्यायालयों के दंडादेशों के विरुद्ध अपील।

3. दीवानी (सिविल) न्यायालय, भवन और स्थापनाएं।

4. न्यायालय--भाषा

5. न्यायिक प्रपत्र

6. महाधिवक्ता (एडवोकेट) और सरकार के अन्य विधि पदाधिकारियों की नियुक्ति।

7. निर्ववसीयत सम्पत्ति।

8. न्याय--पदाधिकारियों का क्षेत्राधिकार।

9. विधि पुस्तकें, अवधि रिपोर्ट कालक्रमिक--सारणियाँ।

10. वैधिक कार्यो का संचालन।

11. अपराध, पागल।

12. राजनैनिक कैदियों से भिन्न सभी कैदियों के दया–प्रार्थना–पत्र तथा उनके दंडादेश की (दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 432 के अधीन) छूट या स्थगन।

13. आजीवन कारावास दंड प्राप्त कैदियों का छुटकारा।

14. यूरोपीय वंश के व्यक्तियों को प्रदेय प्रोवेट और प्रशासन–पत्र।

(xii) राज्य विधि रिपोर्ट तथा सरकार और जनता को इन रिपोर्टों की आपूर्त्ति।

(xiii) आवारागर्दी।

(xiv) 1. उच्च न्यायालय, और

2. जिला तथा सत्र न्यायाधीश के कार्यालयों या उनके अधीनस्थ कार्यालयों में नियोजित सभी लिपिक और भृत्य वर्गों का नियंत्रण।

(xv) भारत संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 2 और 3 में सम्मिलित किसी विषय के संबंध में, विधि--विरुद्ध अपराध।

(xvi) उच्च न्यायालय–भवन और दीवानी (सिविल) न्यायालयों के सभी भवनों का प्रशासनिक प्रभार।

(xvii) उच्च न्यालय के न्यायाधीशों और भारतीय सिविल प्रशासन संवर्ग के पदाधि–कारियों से भिन्न न्याय–पदाधिकारियों के सभी निवासों का प्रशासनिक प्रभार।

(xviii) सिविल और फौजदारी (आपराधिक), मामलों में, सरकारी खर्च पर सरकारी सेवकों की प्रतिरक्षा की मंजूरी।

(xix) जन–सेवकों के विरुद्ध अभियोजन की मंजूरी देना।

(xx) परकाम्य लिखित अधिनियम (निगोशियेबुल इन्सट्रूमेंट ऐक्ट), 1881 की धारा

138 के अधीन लेख्य प्रमाणक (नोटरी) की नियुक्ति।

(xxi) प्रत्यर्पण।

(xxii) शिक्षा संस्था संबंधी धार्मिक पूर्त्त अग्रस्वों से भिन्न धार्मिक और पूर्त अग्रस्व (वक्फ रहित)

(xxiii) गरीबों की वैधिक सहायता।

विधान शाखा –

(i) प्रशासी विभागों द्वारा निकाले जाने वाले परिनियत नियमों, अधिसूचनाओं, आदेशों आदि अथवा उप–विधियों (उप–नियमों) के प्रारुपण में अन्य विभागों की सलाह देना।

(ii) प्रशासी विभागों के आदेशनुसार सभी सरकारी विधेयकों, भारत–संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन प्रख्यापित अध्यादेशों तथा भारत–संविधान की पांचवी अनुसूची के भाग 'ख' की कंडिका की उप कंडिका (2) के अधीन बनाये गये विनियमों का प्रारुपण।

(iii) राज्य विधान सभा में पुनः स्थापन के पूर्व सभी सरकारी विधेयकों का मुद्रण और उनकी मुद्रित प्रतियों का वितरण।

(iv) विधेयकों पर प्रवर समितियों की रिपोर्ट तैयार करना, समितियों की सिफारिशों के अनुसार विधेयकों को संशोधित करना तथा उन रिपोर्टों और यथा संशोधित विधेयकों को छपाना।

(v) सरकारी या गैर सरकारी सभी विधेयकों के मामले में यह सलाह देना कि उन पर राज्यपाल या राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी या सिफारिश आवश्यक है या नहीं तथा यह भी कि राज्य विधान सभा द्वारा पारित विधेयकों को राष्ट्र के विचारार्थ रखना अपेक्षित है या नहीं।

(vi) राज्य विधान सभा में पुनःस्थापित या राज्य विधान सभा कार्य–नियमावली के अधीन प्रकाशित सभी विधेयकों की प्रतियाँ, सभी विधेयकों पर प्रवर समितियों की रिपोर्टों की प्रतियां तथा आवश्यकतानुसार विधानसभा की कार्यवाही के उद्धरणों के साथ राज्य विधानसभा द्वारा पारित और राज्यपाल अनुमत सभी विधेयकों की प्रतियाँ विधि मंत्रालय (भारत सरकार) को भेजना।

(vii) राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपाल की अनुमति का, राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों का और राष्ट्रपति द्वारा अनुमत विनियमों

का प्रकाशन।

(viii) वर्तमान विधि के संहितायन और समेकन के लिए विधेयकों का और औपचारिक विधान का आरम्भन और प्रारूपण।

(ix) अधिनियमों, संहिताओं तथा परिनियत नियमों एवं आदेशों के संकलनों का पुनरीक्षण।

1. राज्यपाल द्वारा अनुमत सभी विधेयकों, प्रख्यापित सभी अध्यादेशों तथा बनाये गये सभी विनियोग का मुद्रण और ऐसे विधान के परिणाम दिखाने वाली वार्षिक सूचियां तैयार करना,

2. सभी संशोधनों के साथ राज्य अधिनियमों के रूपभेदित संस्करण तैयार करना और छपाना।

3. झारखंड–संहिता का पुनरीक्षण।
राज्य परिनियम नियमों और आदेशों की वार्षिक सूचियाँ तैयार करना तथा स्थानीय परिनियत नियमों और आदेशों के संकलनों का पुनरीक्षण।

(x) सम्बद्ध प्रशासी विभाग के परामर्श से संसद के विधेयकों और अधिनियमों, इन विधेयकों पर प्रवर समितियों की रिपोर्टो तथा राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों का स्थानीय सरकारी गजट में पुनः प्रकाशन।

(xi) सभी सरकारी विधेयकों, यथा संशोधित विधेयकों सहित प्रवर–समितियों, की रिपोर्टो और अधिनियमों के हिन्दी अनुवाद की जाँच और छपाई तथा उनके मुद्रित प्रतियों का वितरण।

18. स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग :–

(i) मानसिक रोग अस्पताल, कांके।

(ii) चिकित्सा, अस्पताल, औषधालय, पागलखाना (एसाईलम) आदि के विनियमन का उपबन्ध

(iii) लोक स्वास्थ्य और अन्य स्वच्छता तथा जन्म–मरणादि के आंकड़े।

(iv) भारत के भीतर तीर्थ यात्राएँ।

(v) खाद्य वस्तुओं और अन्य पदार्थों का अपमिश्रण।

(vi) बंगाल जन्म–मरण नियंत्रण अधिनियम (बंगाल बर्थ ऐण्ड डेथ रजिस्ट्रेशन ऐक्ट), 1873 (बंगाल अधिनियम 4, 1873) के अधीन जन्म–मरण का नियंत्रण।

(vii) औषधियों का नियंत्रण।

(viii) चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सीय अहर्ता (योग्यता) और स्तरों के विनियमन का

उपबंध।

(ix) परिवार कल्याण।

(x) चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्रीय अवर–सेवाओं की स्थापना।

(xi) परिवार नियोजन के क्षेत्रीय अवर--सेवाओं की स्थापना।

(xii) स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाले सभी पदाधिकारियों का नियंत्रण।

(xiii) स्वास्थ्य विभाग के दखल में स्थित सभी भवनों का प्रशासनिक प्रभार।

19. ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण अभियंत्रण संगठन सहित)

(i) विकास–सह–अंचल प्रमंडल का गठन।

(ii) ग्रामीण विकास और प्रखंड स्तरीय आयोजन।

(iii) प्रखंड (बहुद्देशीय जनजाति कल्याण परियोजना सहित) विकास कार्यक्रमों को चरणबद्ध करना तथा खाद्य उत्पादन योजना सहित विकास कार्यक्रमों का कार्यान्वयन।

(iv) ग्रामीण विकास कार्य के भूदान तथा ग्रामदान कार्य का समन्वय।

(v) ग्रामीण विकास के लिए पंचवर्षीय और वार्षिक योजनाएँ।

(vi) ग्रामीण विकास से संबंधित परिनियत और अनौपचारिक समितियाँ, सम्मेलन और विचार गोष्ठियाँ।

(vii) ग्रामीण विकास संबंधी प्रगति की समीक्षा मूल्यांकण एवं सिंहावलोकन।

(viii) ग्रामीण विकास कार्यक्रम से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम और प्लानिंग फोरम।

(ix) व्यवहारिक पोषाहार कार्यक्रम।

(x) प्रायोगिक गहन ग्रामीण नियोजन परियोजना।

(xi) ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संबंधी सांख्यिकी कार्य।

(xii) उप विकास आयुक्तों–सह–मुख्य परियोजना कार्यपालक पदाधिकारियों, जिला विकास पदाधिकारियों, सहायक विकास आयुक्तों, प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों तथा सहायक परियोजना कार्यपालक पदाधिकारियों का स्थानान्तरण और पदस्थापना, प्रखंड स्तर के कुछ कोटी के अराजपत्रित कर्मचारियों का स्थानान्तरण और पदस्थापन, प्रखंड के राजपत्रित दोनों प्रकार के कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतों की जाँच और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में उनका योगदान।

(xiii) ग्राम पंचायत, उनका प्रशासन, शक्तियों और कृत तथा ग्राम पंचायत, खंड और जिला स्तर पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित सभी बातें।

(xiv) अन्त्योदय योजना।

(xv) पंचायती राज वित्त निगम का नियंत्रण।

(xvi) जिला बोर्ड तथा स्थानीय स्वशासन अधिनियम का प्रशासन।

(xvii) पंचायत समितियाँ तथा जिला परिषद् अधिनियम का प्रशासन।

(xviii) मवेशी कांजी हाउस तथा ग्रामीण क्षेत्रों में मवेशी अनाधिकार प्रवेश का निवारण।

(xix) स्थानीय विकास निर्माण कार्यक्रम।

(xx) पंचायती राज वाले जिलों में वैसे सैयरातों का प्रबंध, जिसकी वार्षिक बन्दोबस्ती जमा 1000/रुपया (एक हजार) से कम है।

(xxi) पंचायती राज निदेशालय में नियोजित सभी पदाधिकारियों का नियंत्रण।

(xxii) विभिन्न स्तरों की पंचायती राज संस्थाओं के दखल में स्थित सभी भवनों का प्रशासनिक प्रभार।

(xxiii) समग्र ग्रामीण विकास कार्यक्रम।

(xxiv) स्वनियोजन के लिए ग्रामीण युवकों का प्रशिक्षण।

(xxv) जनता रोजगार योजना।

(xxvi) राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन कार्मक्रम।

तृतीय अनुसूची

(नियम 10, 15, 16 और 32 (क) (ii) देखें)

1. लोकायुक्त को नियुक्त करने या हटाने या उनके वेतन एवं अन्य सेवा शर्तों आदि को अवधारित करने या उसमें हेर–फेर करने का प्रस्ताव

2. महाधिवक्ता को नियुक्त करने या हटाने अथवा उनके पारिश्रमिक अवधारित करने या उसमें हेर–फेर करने का प्रस्ताव

3. विधान–मंडल के किसी एक या दोनों सदनों के आह्वान और अवसायन, विधान–सभा के विघटन के प्रस्ताव

4. जिन पदों पर नियुक्ति सरकार करती है, उनके संबंध में सेवा नियम बनाने या उनमें संशोधन करने का प्रस्ताव

5. राज्य विधान–मंडल के किसी सदन का कोई सदस्य अनुच्छेद 191 के अधीन निर्योग्य हो गया है या नहीं, इस संबंध में उठे प्रश्नों पर निर्णय और ऐसे प्रश्नों को निर्वाचन–आयोग की राय के लिये भेजने के प्रस्ताव, अनुच्छेद 193 के अधीन शोध्य अर्थ–दण्ड को वसूलने या उसकी वसूली छोड़ देने का प्रस्ताव

6. विधान–मंडल के सामने रखे जाने वाले वार्षिक वित्त विवरण तथा अनुपूरक अतिरिक्त की अधिकाई अनुदानों की मांग।

7. अनुच्छेद 208 के खंड (3) के अधीन बनाए जाने वाले नियमों से संबंधित प्रस्ताव

8. अनुच्छेद 234 के अधीन नियम बनाने या संशोधित करने का प्रस्ताव।

9. अनुच्छेद 237 के अधीन अधिसूचना निकालने का प्रस्ताव।

10. राज्य लोक–सेवा आयोग के सदस्य को नियुक्त करने का प्रस्ताव और ऐसा प्रस्ताव जिसमें उक्त सदस्य को बरखास्त करने, हटाने या निलम्बित करने की कार्रवाई अन्तर्वलित हो।

11. अनुच्छेद 318 के अधीन या अनुच्छेद 320 के खंड (3) के परन्तुक के अधीन विनियम बनाने या संशोधित करने का प्रस्ताव।

12. अपने कार्य के संबंध में राज्य लोक–सेवा आयोग के ख(अनुच्छेद 323 (2), और उसके संबंध में कोई प्रस्तावित कार्रवाई।

13. विधान का प्रस्ताव, जिसमें संविधान अनुच्छेद 213 के अधीन अध्यादेश निकालना भी शामिल है।

14. ऐसे मामले जिनमें यह अवधारित करना हो कि राज्य विधान–मंडल में प्रस्तावित किए जाने वाले किसी संकल्प या विधेयक पर सरकार का रुख क्या रहे।

15. कोई नया कर लगाने अथवा किसी वर्तमान कर या भू–राजस्व या पनवट का निर्धारण पद्धति या तारतम्य में कोई हेर–फेर करने अथवा राज्य की संचित निधि की प्रतिभूति पर ऋण लेने अथवा राज्य सरकार द्वारा कोई गारंटी दी जाने का प्रस्ताव।

16. राज्य वित्त पर प्रभाव डालने वाला कोई ऐसा प्रस्ताव जिस पर वित्त मंत्री का सहमति नहीं हो।

17. पुनर्विनियोग संबंधी कोई ऐसा प्रस्ताव जिस पर वित्त मंत्री की सहमति अपेक्षित हो किन्तु जो रोक रखी गयी हो।

18. राज्य–वित्त की वार्षिक अंकेक्षण–समीक्षा तथा लोक–लेखा समिति की रिपोर्ट।

19. नीति या चलन में महत्वपूर्ण परिवर्त्तन का प्रस्ताव।

20. राज्य की प्रशासन पद्धति में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने वाले प्रस्तावित आदेश।

21. न्याय विभाग (विधि परामर्शी शाखा) द्वारा दी गई सलाह के विरुद्ध अभियोजन बुलाने या वापस लेने का प्रस्ताव।

22. ऐसे लोक–पद के सृजन या उत्पादन का प्रस्ताव, जिस पर नियुक्ति सरकार करती है और जिसकी अधिकतम उपलब्धि 4,150 रुपये (चार हजार एक सौ पचास रुपये) से अधिक है।

23. किसी अखिल भारतीय सेवा या राजस्व–सेवा के सदस्यों की सेवा शर्तो में अथवा जिस सेवा में या पद पर नियुक्ति राज्य सरकार करती हो, उस सेवा में या पद पर भर्ती की रीति में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन करने का प्रस्ताव।

24. सरकार द्वारा स्वतः अथवा राज्य विधान–मंडल द्वारा पारित संकल्प के अनुसार जाँच समितियों की नियुक्ति का प्रस्ताव तथा ऐसी समितियों की रिपोर्ट।

टिप्पणी – विभाग, प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से और वित्त विभाग की सहमति से ऐसे अस्थायी पदों की अवधि बढ़ा सकेगा जो दो वर्ष से अधिक समय से मौजूद रहे हों।

25. ऐसे मामले जिन्हें मुख्यमंत्री ने परिषद् के सामने लाने की अपेक्षा की हो।

26. ऐसे मामले जिनका प्रभाव अनुसूचित क्षेत्रों के सुशासन पर पड़ता हो या पड़ने की संभावना हो।

27. ऐसी सिविल सेवाओं या पदों पर जिनका अधिकतम वेतन 4,150 रुपये (चार हजार एक सौ पचास) रुपये से अधिक हो, सीधी भर्ती या प्रोन्नति के जरिये सरकार द्वारा नियुक्ति के प्रस्ताव, परन्तु सरकार द्वारा की गयी नियमित या प्रोन्नति का हर मामला, जिसमें लोक–सेवा आयोग की अनुशंसा की प्रत्याशा की अपेक्षा प्रस्तावित हो, परिषद् के समक्ष रखा जायेगा चाहे पद का अधिकतम वेतन जो भी हो।

परन्तु लोक–सेवा आयोग की अनुशंसा की प्रत्याशा में नियुक्ति या प्रोन्नति छः माह के लिये आरम्भ में मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति लेकर की गई हो तो ऐसी नियुक्ति या प्रोन्नति के अवधि विस्तार के प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद् के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी, यदि विभाग इस कार्य हेतु विभाग या अनेक विभागों के लिये मुख्य मंत्री द्वारा स्थायी आदेश से गठित मंत्रिपरिषद् की स्थायी समिति का अनुमोदन प्राप्त कर लेता है।

जी. एस. आर. 41, दिनांक 22 नवम्बर, 1983

28. ऐसे किसी पदाधिकारी की बर्खास्तगी, हटाये जाने या अनिवार्य सेवा निवृति सम्बन्धी प्रस्ताव जिसकी नियुक्ति सरकार ने की हो और जिसके द्वारा धारित पद का अधिकतम वेतन 2,900 (दो हजार नौ सौ) रुपये से अधिक हो।

29. अनुच्छेद 171 (3) (ङ) तथा 333 के अधीन विधान परिषद् एवं विधान–सभा के सदस्यों को मनोनीत करने का प्रस्ताव

30. ऐसे पदाधिकारियों के विशेष वेतन स्वीकृत करने का प्रस्ताव जो 4,150 रुपये (चार हजार एक सौ पचास) रुपये से अधिक ऊपरी सीमा वाले वेतनमान में हो।

31. राज्य की आकस्मिकता निधि से 15,00,000 (पन्द्रह लाख) रुपये से अधिक अग्रिम के लिये प्राधिकृत करने का प्रस्ताव

32. भूमि या अन्य सरकारी संपत्ति के पक्कीकरण, चाहे वह स्थायी हो या अस्थायी, या अनुदान या ठेके या बन्दोबस्त या पट्टे, अथवा राजस्व अभ्यर्पण अथवा खनिज या वन संबंधी अधिकार या पन–बिजली के अधिकार, समनुदान (कन्सेशन) या अनुदान अथवा ऐसे समनुदान के संबंध में किसी सुखाचार (ईजमेन्ट) या विशेषाधिकार अथवा लाइसेन्स या परमिट के प्रदान से संबंधित ऐसे सभी मामले जिनमें सरकार मूल आदेश निकालना या किसी खास ढंग से कार्रवाई करने के लिये किसी विभागाध्यक्ष या अन्य अधीनस्थ प्राधिकारी को निर्देश देना चाहती हो, बशर्ते कि ऐसा प्रस्तावित आदेश या निर्देश परिषद् के पूर्व निर्णय के अनुरूप न हो।

टिप्पणी – यह खान और खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम ख(माइन्स एण्ड मिनरल्स (रेगुलेशन एण्ड डेवलपमेंट) ऐक्ट),, 1957 (सं. 68, 1957) और उसके अधीन बने नियमों के अनुसार खनिजों के लिये पूर्वेक्षण, लाइसेन्स के प्रदान पर लागू न होगा।)

33. सरकार द्वारा नियुक्त राजपत्रित पदाधिकारियों की सेवावधि की वृद्धि या पुनर्नियुक्ति स्वीकृत करने का प्रस्ताव -- ऐसा प्रस्ताव वित्त विभाग को दिखाने के बाद परिषद् के सामने रखा जायगा।

34. किसी राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा मांगी गई सेवा--निवृति पूर्व छुट्टी को लोक--सेवा की अत्यावश्यकता को देखते हुए अस्वीकृत करने का प्रस्ताव – ऐसा प्रस्ताव वित्त विभाग को दिखाने के बाद परिषद् को रखा जायेगा; लेकिन यदि स्वयं वित्त विभाग ही ऐसा प्रस्ताव करे तो परिषद् के सामने रखे जाने के बाद पहले वह कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को दिखा दिया जायेगा।

35. (प) 25 लाख रुपये से अधिक अनावर्त्ती व्यय अथवा 5 लाख रुपये से अधिक वार्षिक आवर्ती व्यय वाली नई योजना स्कीम;

(ii) 25 लाख रुपये से अधिक अनावर्त्ती व्यय अथवा 5 लाख रुपये से अधिक वार्षिक आवर्ती व्यय वाली चालू योजना स्कीमों का विस्तार; एवं

(iii) 10 लाख रुपये से अधिक अनावर्त्ती व्यय अथवा 2.50 लाख रुपये से अधिक वार्षिक आवर्ती व्यय वाला गैर–योजना स्कीम।

टिप्पणी (1) परिषद् द्वारा पूर्व अनुमोदित प्राक्कलन में अधिक–से–अधिक 10 प्रतिशत की वृद्धि होने पर भी परिषद् का पुनरानुमोदन आवश्यक नहीं होगा।,

(2) विभाग प्रभारी मंत्री के अनुमोदन और वित्त विभाग की सहमति से ऐसी गैर–योजना स्कीमों की अवधि बढ़ा सकेगा, पंचम वर्ष में योजना वित्त विभाग की सहमति अनिवार्य होगी।

(3) योजना के अन्तर्गत स्वीकृत होने वाली नई स्कीमों के मामले में प्रथम एवं पांचवें वर्ष में वित्त विभाग की सहमति प्राप्त की जायेगी। बीच के वर्षों में स्कीमों का अवधि विस्तार वार्षिक आधार पर प्रशासी विभाग प्रभारी मंत्री का अनुमोदन प्राप्त करेगा, परन्तु योजना स्कीमों के मामले में पांचवें वर्ष में वित्त/योजना विभाग की सहमति अनिवार्य होगी।

परन्तु सभी विभाग अपनी शक्तियों का प्रयोग वित्त विभाग के संकल्प संख्या 2046 दिनांक 14 मार्च 1986 के प्रतिबंधों के आलोक में करेंगे।

(4) लघु कृषक एवं विकास योजना, सीमान्त कृषक एवं कृषक मजदूर योजना, सुखाड़ोन्मुख क्षेत्रीय कार्यक्रम जैसे विशेष–कृषि विकास योजनाओं के सम्बन्ध में केवल वे ही योजनायें परिषद् के समक्ष रखी जायेंगी जिनमें अनावर्त्तक व्यय 25 लाख रुपये या अधिक है या जिनमे आवर्त्तक व्यय 5 लाख रुपये या अधिक है।

36. निम्न विषयक प्रस्ताव –

(i) उच्चतर अध्ययन या प्रशिक्षण कोर्स के लिये विदेश भेजे जाने वाले छात्रों या सरकारी कर्मचारियों को ऋण या छात्रवृत्ति देना;

(ii) किसी विशिष्ट सम्मेलन में भाग लेने के लिये अध्ययन यात्रा के लिये झारखण्ड सरकार की ओर से किसी वार्तालाप में भाग लेने के लिये या अन्यथा विदेश यात्रा के लिये सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञा देना, और

(iii) ऐसे छात्रों को ऋण या आर्थिक सहायता देना जिन्होंने स्वतः विदेश के लिये प्रस्थान किये हों, किन्तु बाद में ऋण या आर्थिक सहायता के लिये सरकार से याचना की हो।

37. राज्य विधान–मंडल के संयुक्त सत्र में राज्यपाल का अभिभाषण।

38. राज्य सरकार के किसी ऐसे विनिश्चय को जो पूर्व में किसी मंत्री या मंत्रिपरिषद् ने या राज्यपाल के परामर्शी या परामर्थियों ने किसी बैठक में किया हो, विखंडित, रूपान्तरित या बातिल करने का प्रस्ताव।

39. ऐसे प्रस्ताव जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिकथित किसी नीति के या केन्द्रीय सरकार द्वारा किये गये किसी आदेश के प्रवर्त्तन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता हो।

40. ऐसे मामले जहां किसी सरकारी उपक्रमों में पद–सृजन तथा उस पर की जाने वाली नियुक्ति में राज्यपाल की स्वीकृति अपेक्षित हो।

41. विधान–मंडल के सामने रखा जाने वाला सम्पादन आय–व्ययक।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह॰/–
विजय शंकर दुबे
मुख्य सचिव